



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2026—माघ 10, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के
आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत
की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरः स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग 9

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2026

क्र. ई-5-1077-आईएस-लीव-5-एक.—श्री बसंत
कुर्रे, भाप्रसे (2010), वि.क.अ.—सह-संचालक, कौशल विकास, मध-
यप्रदेश, भोपाल का दिनांक 05 से 14 जनवरी 2026 तक, दस
दिवस का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री बसंत कुर्रे, भाप्रसे (2010), वि.क.अ.—
सह-संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल की अवकाश
अवधि में उनका प्रभार श्री अवधेश शर्मा, भाप्रसे (2012), वि.क.
अ.—सह-आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल को उनके
वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बसंत कुर्रे, भाप्रसे, को
अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ.
सह-संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद
पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बसंत कुर्रे, भाप्रसे, द्वारा वि.क.अ.—सह-संचालक,
कौशल विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने
पर श्री अवधेश शर्मा, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री बसंत कुर्रे, भाप्रसे, को अवकाश
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर
जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बसंत कुर्रे, भाप्रसे,
अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(7) यदि श्री बसंत कुर्रे, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की
समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित
होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत
अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर
कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2026

क्र.-GAD-6-0005-2024-GAD-1-एक-
(GAD).-माननीय न्यायाधिपति, श्री हृद्देश, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी/7468 (दो-1-16/2023), दिनांक 18 दिसम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 21 नवम्बर 2025 का एक दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्प्यूटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 एवं 23 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र.-GAD-6-0005-2024-GAD-1-एक-
(GAD).-माननीय न्यायाधिपति, श्री हृद्देश, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी/7470 (दो-1-16/2023), दिनांक 18 दिसम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 01 से 05 दिसम्बर 2025 तक, पांच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्प्यूटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 एवं 30 नवम्बर 2025 का तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 एवं 07 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र.-GAD-6-0020-2025-GAD-1-एक-
(GAD).-माननीय न्यायाधिपति श्री अनिल वर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी/7474 (दो-1-12/2022), दिनांक 18 दिसम्बर 2025 के अनुक्रम में दिनांक 18 से 28 नवम्बर 2025 तक, ग्यारह दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र.-GAD-6-0024-2025-GAD-1-एक-
(GAD).-माननीय न्यायाधिपति, श्री अचल कुमार पालीवाल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी/7528 (दो-1-8/2024), दिनांक 17 दिसम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 08 से 12 दिसम्बर 2025 तक, पांच दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt(ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

2. अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह तृतीय अवसर है।

क्र.-GAD-6-0030-2025-GAD-1-एक-
(GAD).-माननीय न्यायाधिपति, श्री आलोक अवरस्थी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी/7476 (दो-1-19/2025), दिनांक 18 दिसम्बर 2025 के अनुक्रम में दिनांक 06 से 12 नवम्बर 2025 तक, सात दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 05 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र.-GAD-6-0032-2025-GAD-1-एक-
(GAD).-माननीय न्यायाधिपति, श्री विशाल मिश्रा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को डी. आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी/7472 (दो-1-20/2025), दिनांक 18 दिसम्बर 2025 के अनुक्रम में दिनांक 01 से 02 दिसम्बर 2025 तक, दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2026

क्र.-GAD-6-0024-2025-GAD-1-एक-(GAD).-माननीय न्यायाधिपति, श्री अचल कुमार पालीवाल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी/7530 (दो-1-8/2024), दिनांक 19 दिसम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 08 से 12 दिसम्बर 2025 तक, पांच दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2026

क्र.-GAD-6-0005-2025-GAD-1-एक-(GAD).-माननीय न्यायाधिपति श्री द्वारकाधीश बंसल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक ए/5492(दो-1-7/2023), दिनांक 23 दिसम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 21 दिसम्बर 2025 से 01 जनवरी 2026 तक के शीतकालीन/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt (ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह तृतीय अवसर है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुमन रैकवार, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2026

क्र. ई. एफ-1-1-1-0217-2025-बी-2-दो.-राज्य शासन द्वारा सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत /मानव अधिकार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 15 से 19 सितम्बर 2025 तक, कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 13-14 व 20-21 सितम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले गृह नगर बैंगलूरु की यात्रा पर जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :-

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा एन., भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत/मानव अधिकार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा एन., भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा एन., भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहती।

क्र.ई.एफ-1-1-1-0276-2025-बी-2-दो.-राज्य शासन द्वारा श्री ललित शाक्यवार, भापुसे (2008), उप पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत एवं मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 19 से 23 नवम्बर 2025 तक, कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत एवं मानवाधिकार) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र.ई.एफ-1-1-1-0332-2025-बी-2-दो.-राज्य शासन द्वारा श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे (2010), उप पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 02 से 13 फरवरी 2026 तक, कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 31 जनवरी से 01 फरवरी 2026 तथा 14-15 फरवरी, 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे, मध्यप्रदेश, भोपाल का चालू कार्य श्री राहुल लोढा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रेल, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.ई.एफ-1-1-1-0420-2025-बी-2-दो.-राज्य शासन द्वारा श्री चंचल शेखर, भापुसे (1995), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विसबल), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 29 दिसम्बर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री चंचल शेखर, भापुसे, की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विसबल), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री चंचल शेखर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विसबल) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री चंचल शेखर, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री चंचल शेखर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चंचल शेखर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2026

क्र.ई.एफ-1-1-1-0160-2025-बी-2-दो.-राज्य शासन द्वारा डॉ. असित यादव, भापुसे (2011), उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला भिण्ड को दिनांक 26 जनवरी 2026 (26 जनवरी कार्यक्रम के उपरान्त) से 29 जनवरी 2026 तक, कुल चार दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) डॉ. असित यादव, भापुसे, की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला भिण्ड का चालू कार्य श्री संजीव कुमार पाठक, रापुसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला भिण्ड द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. असित यादव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. असित यादव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. असित यादव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. असित यादव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.ई.-1-1-1-0209-2025-B-2-दो(HOM).-राज्य शासन द्वारा श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, पुलिस उपायुक्त, जोन-4, नगरीय पुलिस, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 24 नवम्बर से 03 दिसम्बर 2025 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22-23 नवम्बर, 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण पर गुवाहाटी, शिलांग एवं जोरहाट माजुली की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्री मयूर खण्डेलवाल, - स्वयं
2. श्रीमती साक्षी अग्रवाल, - पत्नी

(2) श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस उपायुक्त, जोन-4 नगरीय पुलिस, भोपाल का चालू कार्य श्री अभिनव चौकसे, भापुसे, पुलिस उपायुक्त, जोन-3, नगरीय पुलिस, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त, जोन-4, नगरीय पुलिस, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2026

क्र.ई.-1-1-1-0368-2025-B-2-दो(HOM).-राज्य शासन द्वारा श्री अनिल कुमार, भापुसे (1993), विशेष पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के विस्तार वर्ष-2025 (पूर्व खण्डवर्ष को आगामी खण्डवर्ष 2026-29 में केरीफावर्ड करते हुए), दिनांक 23 से 27 फरवरी 2026 तक, कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 फरवरी, तथा 28 फरवरी, एवं 01 मार्च, 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर जहानाबाद (बिहार) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्री अनिल कुमार — स्वयं
2. श्रीमती अनुपमा कुमार — पत्नी

(2) श्री अनिल कुमार, भापुसे, की अवकाश अवधि में विशेष पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अनिल कुमार, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कड़िका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2026

क्र.ई. एफ 1-1-3-0007-2025-बी-2-दो.- राज्य शासन द्वारा श्री सचिन कुमार अतुलकर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, चम्बल को दिनांक 24 नवम्बर से

03 दिसम्बर 2025 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री सचिन कुमार अतुलकर, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, चम्बल का चालू कार्य श्री सुनील कुमार जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज, मुरैना द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सचिन कुमार अतुलकर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन चम्बल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सचिन कुमार अतुलकर, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कड़िका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सचिन कुमार अतुलकर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सचिन कुमार अतुलकर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र 1-1-1-0064-2025-B-2-दो (HOM).- राज्य शासन द्वारा श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे, राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, भोपाल, मध्यप्रदेश को संतान प्राप्त होने पर दिनांक 25 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक, कुल पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, भोपाल, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(4) अवकाशकाल में श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी, अवर सचिव।

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2026

क्र. एफ. LAB-8-0003-2025-Sec-1-सोलह (LAB).- मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 9 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10 जनवरी 2025 में पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 9 में, उपधारा (2) में,-

(एक) शब्द "तीस रुपये" के स्थान पर, शब्द "पचास रुपये" स्थापित किए जाएं ;

(दो) परन्तुक में, शब्द "एक हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द, "दो हजार पांच सौ रुपये" स्थापित किए जाएं.

2. यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

No. LAB-8-0003-2025-Sec-1-XVI(LAB).- In exercise of the powers conferred by sub-section (9) of Section 9 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983), the State Government, hereby, makes the following amendment in the said Adhiniyam, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 10th January, 2025, namely :-

AMENDMENT

In Section 9 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983), in sub-section (2),-

i - for the words "thirty rupees", the words "fifty rupees" shall be substituted;

ii - in the proviso for the words "one thousand five hundred rupees", the words "two thousand five hundred rupees" shall be substituted.

2. It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय कुमार, अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

रा.प्र.क्र. 0006-अ-82-2025-26-4171.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है; आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन - निजी खाता

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| (क) जिला | - | दमोह |
| (ख) तहसील | - | हटा |
| (ग) नगर/ग्राम | - | हटाखास |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल | - | 200 वर्ग मी. |

खसरा क्र.

(1)

206

रकबा (हे.में.)

(2)

200 वर्ग मी.

योग.. 200 वर्ग मी.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दमोह जिले के हटा शहर में रेस्ट हाउस के पास दुहिया नाले पर वृहद पुल, पहुंच मार्ग, सुरक्षा कार्य एवं एच.पी. कल्वर्ट कार्य परियोजना के लिए.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड हटा तथा कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग सागर, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित के अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2026

भू-सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा

क्र.1905-म.प्र.भू.अ.प्र.स.-2026.-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2020 में जिला गुना के सन्दर्भ में प्रकाशित आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 107-2020-CLR-भू-सर्वेक्षण-2020 ग्वालियर, दिनांक 04 दिसम्बर 2020 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू-सर्वेक्षण बंद किया जाता है।

भू-सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा

क्र.1907-म.प्र.भू.अ.प्र.स.-2026.-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र, दिनांक 02 अप्रैल 2021 में जिला सीधी के सन्दर्भ में प्रकाशित आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 183-2021-CLR-भू-सर्वेक्षण-2020 ग्वालियर, दिनांक 02 अप्रैल 2021 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू-सर्वेक्षण बंद किया जाता है।

अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 13 जनवरी 2026

संशोधित आदेश

क्र.08-एस.सी.-1-2026.-मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुक्रम में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 02-एस.सी.-एक-2026, छतरपुर, दिनांक 5 जनवरी 2026 से निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये गये थे :-

स.क्र.	त्यौहार/पर्व	अवकाश का दिनांक	अवकाश का दिन	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मकर संक्रांति	15.01.2026	गुरुवार	सम्पूर्ण जिला
2.	भाई दोज (होली)	05.03.2026	गुरुवार	सम्पूर्ण जिला
3.	देवउठनी ग्यारस	20.11.2026	शुक्रवार	सम्पूर्ण जिला

अतः, कार्यालयीन आदेश क्रमांक 02-एस.सी.-1-2026, छतरपुर, दिनांक 05 जनवरी 2026 में आंशिक संशोधन करते हुए क्रमांक 01 पर अंकित दिनांक 15 जनवरी 2026 को घोषित किया गया स्थानीय अवकाश निरस्त करते हुए निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है :-

स.क्र.	त्यौहार/पर्व	अवकाश का दिनांक	अवकाश का दिन	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मकर संक्रांति/पोंगल	14.01.2026	बुधवार	सम्पूर्ण जिला

शेष अवकाश यथावत् रहेंगे.

पार्थ जैसवाल, कलेक्टर.

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

(कक्ष—मानव संसाधन विकास).

वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2026

क्र. मांसवि-सामान्य-95

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10-1/2015/1/9 दि.27.03.2015 के परिपेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 28-31 अक्टूबर 2025 की अवधि में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय वन सेवा परीक्षाधीन अधिकारी, सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 28.10.25 को प्रथम - वन विधि, दिनांक 29.10.25 को द्वितीय - सामान्य विधि, दिनांक 30.10.2025 को तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा एवं वनक्षेत्रपाल / उपवनक्षेत्रपाल के लिये दिनांक 28.10.25 को प्रथम - प्रक्रिया, दिनांक 29.10.25 को द्वितीय - लेखा, दिनांक 30.10.25 को तृतीय - सामान्य विधि तथा दिनांक 31.10.25 को हिन्दी विषयों पर सम्पन्न हुई थी, जिसमें सम्मिलित निम्न उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

//भारतीय वन सेवा परीक्षाधीन एवं सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम//

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पद	परीक्षा विषय जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं		
परीक्षा केन्द्र - बालाघाट क्षेत्रीय वन वृत्त					
1	श्री रवि कुमार	प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षक	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
2	श्री वीरभद्र सिंह परिहार	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
3	श्री तेजपाल सिंह सिकरवार	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
4	श्री मुकेश कुमार	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
5	श्री सपन ताम्रकार	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
6	श्री जगतदास खरे	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
परीक्षा केन्द्र - बैतूल क्षेत्रीय वन वृत्त					
4	श्री रमेश चन्द मोना	प्रशिक्षु भावसे	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
परीक्षा केन्द्र - भोपाल क्षेत्रीय वन वृत्त					
5	श्री धीरेन्द्र पाण्डेय	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	-	-
6	श्री महेन्द्र कुमार पालेचा	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
7	सुश्री रूचिका तिवारी	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	-
परीक्षा केन्द्र - छिंदवाडा क्षेत्रीय वन वृत्त					
8	श्री चंचल पवार	भावसे प्रशिक्षु	वन विधि	-	-
परीक्षा केन्द्र - छतरपुर क्षेत्रीय वन वृत्त					
9	श्री नीतिश पटेल	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
10	श्री अजय कुमार बाजपेयी	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
परीक्षा केन्द्र - ग्वालियर क्षेत्रीय वन वृत्त					
11	श्रीमती हिना खान	वनक्षेत्रपाल	-	-	प्रक्रिया तथा लेखा
12	श्री दीपांशु शर्मा	वनक्षेत्रपाल	-	-	प्रक्रिया तथा लेखा
13	श्री घनश्यामदास चतुर्वेदी	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	-
14	सुश्री दीप्ति अरोरा	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
परीक्षा केन्द्र - नर्मदापुरम क्षेत्रीय वन वृत्त					
14	श्री कलीराम उइके	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	-	-
15	श्री मुकेश रघुवंशी	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	-
16	श्री हेमन्त शर्मा	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	-	-
17	श्री आशीष रावत	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	-	-

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पद	परीक्षा विषय जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं		
18	श्री मानेन्द्र सिंह राणा	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
19	श्रीमती रीतू तिवारी	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
20	श्री राहुल कुमार उपाध्याय	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	-	-
परीक्षा केन्द्र -जबलपुर क्षेत्रीय वन वृत्त					
21	श्री महेन्द्र कनेश	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
22	श्री अखिलेश प्रताप सिंह	प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षक	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
23	श्री रेवा सिंह परस्ते	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
24	श्री आकाशपुरी गोस्वामी	प्रशिक्षु भावसे	वन विधि	-	-
25	श्री मिथुन सिसौदिया	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
26	श्री गुरुदयाल साहू	वनक्षेत्रपाल	-	-	प्रक्रिया तथा लेखा
परीक्षा केन्द्र -खण्डवा क्षेत्रीय वन वृत्त					
27	श्री शिवम गौतम	सहायक वन संरक्षक	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
28	श्री नरेन्द्र सिंह पटेल	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
29	श्री मनीष कुमार पाण्डेय	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	-	प्रक्रिया तथा लेखा
परीक्षा केन्द्र -रीवा क्षेत्रीय वन वृत्त					
30	श्री अभिषेक मिश्रा	वनक्षेत्रपाल	-	-	प्रक्रिया तथा लेखा
31	श्री शुभम दुबे	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
32	श्री हर्षित मिश्रा	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
33	श्री दीपेन्द्र लोधी	सहायक वन संरक्षक	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
34	श्री रविशेखर सिंह	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
परीक्षा केन्द्र -सागर क्षेत्रीय वन वृत्त					
35	श्री जयप्रकाश	भावसे प्रशिक्षु	वन विधि	-	प्रक्रिया तथा लेखा
36	श्री बृजेन्द्र कुमार विश्वकर्मा	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
परीक्षा केन्द्र -शहडोल क्षेत्रीय वन वृत्त					
37	श्री तरूणेश सिंह	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
38	श्री सिद्धार्थ सिंह	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
39	श्री रजनेश कुमार त्रिपाठी	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
40	श्री नीलेश कुमार द्विवेदी	वनक्षेत्रपाल	-	-	प्रक्रिया तथा लेखा
परीक्षा केन्द्र -सिवनी क्षेत्रीय वन वृत्त					
41	श्री कपिल चौहान	प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षक	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
परीक्षा केन्द्र -शिवपुरी क्षेत्रीय वन वृत्त					
42	श्री तरूण चौहान	प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षक	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
43	श्री अनुराग तिवारी	वनक्षेत्रपाल	-	-	प्रक्रिया तथा लेखा
44	श्री महिपत सिंह राणा	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
45	श्री आकाश साहू	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	-	-
46	श्री सोरभ द्विवेदी	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	-
परीक्षा केन्द्र -उज्जैन क्षेत्रीय वन वृत्त					
47	श्री विपुल प्रभात करोरिया	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
48	सुश्री सुमन परमार	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पद	परीक्षा विषय जिसमें उत्तीर्ण हुए है		
//वनक्षेत्रपाल एवं उपवनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम//					
परीक्षा केन्द्र - बालाघाट क्षेत्रीय वन वृत्त					
1	श्री अभिलाष पाठक	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
2	श्री शुभम रघुवंशी	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	-	लेखा	सामान्य विधि
3	श्री संदीप कुमार वाल्को	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
4	सुश्री पूजा बघेल	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
5	श्री भास्कर उके	उपवनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
परीक्षा केन्द्र - बैतूल क्षेत्रीय वन वृत्त					
8	श्री दीपक भद्रसेन	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
9	श्री दुर्गेश कुमार मालवीय	सहायक परियोजना क्षेत्रपाल	-	लेखा	-
10	श्री अनिरुद्ध दुबे	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
11	श्री अतुल रंगारे	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
12	श्री योगेश धोटे	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
13	श्री फिरोज अहमद	कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
परीक्षा केन्द्र - भोपाल क्षेत्रीय वन वृत्त					
14	श्री सौरभ दुबे	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	-	लेखा	सामान्य विधि
15	श्री रवि यादव	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	-	लेखा	सामान्य विधि
16	श्री सुरेश कुमार गढवाल	कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
17	श्री अक्षय सिंह	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
18	श्री धर्मेन्द्र मईडा	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	-	लेखा	सामान्य विधि
19	श्री रोहित शर्मा	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	-
20	श्री अशोक कुमार पोर्ते	कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
21	श्री गुलाब प्रसाद अर्मा	कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
22	श्री राजेन्द्र कुमार सहरिया	कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
23	श्री रामकिशन अहिरवार	कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
24	श्री सौरभ दुबे	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
25	श्री रवि यादव	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
26	श्री रमेश लाल जाटव	कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
परीक्षा केन्द्र - छतरपुर क्षेत्रीय वन वृत्त					
27	श्री लीलाधर शाह	उपवनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
28	श्री पिमूष शुक्ला	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
29	श्री ओंकारनाथ मिश्रा	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
30	श्री दीपक धाकड	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
31	श्री बुद्धसेन कोल	कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
32	श्री लक्ष्मण प्रसाद सौर	उपवनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
33	श्री सुमित गुप्ता	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
34	श्री अतुल कुमार पटेल	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
35	श्री सरमन लाल सौर	कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
परीक्षा केन्द्र - छिंदवाडा क्षेत्रीय वन वृत्त					
36	श्री शुभम कुल्हाडे	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
37	श्री कुलदीप बघेल	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
38	सुश्री अनिता सूर्यवंशी	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
39	श्री राहुल साहू	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
40	श्री हरचंद सल्लाम	कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
41	श्री वेदान्त कुमार गौतम	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पद	परीक्षा विषय जिसमें उत्तीर्ण हुए है		
परीक्षा केन्द्र - ग्वालियर क्षेत्रीय वन वृत्त					
42	श्री आशीष मीणा	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	-
43	श्रीमती ब्रजराणी धनघोरिया	कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
परीक्षा केन्द्र - नर्मदापुरम क्षेत्रीय वन वृत्त					
44	श्री हेमन्ध सरोते	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
45	सुश्री मनीषा मुकाती	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
46	श्री केशव मीना	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
47	श्री अरविंद सिंह ठाकुर	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
48	श्री प्रेमनारायण ठाकुर	उपवनक्षेत्रपाल	-	लेखा	सामान्य विधि
परीक्षा केन्द्र - इंदौर क्षेत्रीय वन वृत्त					
49	कु. पायल शर्मा	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
50	श्री अजय वोहान	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
52	श्रीमती रेणुका कटार	कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
53	श्री चेतन पाटीदार	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
54	श्री मोहन हिगाड	कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	-
55	श्रीमती लीना झाला	कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
परीक्षा केन्द्र - जबलपुर क्षेत्रीय वन वृत्त					
56	श्री अजय तिवारी	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
57	श्री सुनिल कुमार पटेल	सहायक परियोजना क्षेत्रपाल	-	लेखा	-
58	श्री लोकेश कुमार भारतीय	सहायक परियोजना	प्रक्रिया	-	-
59	श्री नंदकिशोर बरया	सहायक परियोजना	प्रक्रिया	लेखा	-
60	श्री अतुल बाजपेयी	सहायक परियोजना क्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	-
61	श्रीमती वंदना भण्डारकर	सहायक परियोजना क्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
62	श्री शाशि प्रकाश पाण्डेय	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
63	श्री अगर सिंह भदौरिया	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
परीक्षा केन्द्र - खण्डवा क्षेत्रीय वन वृत्त					
64	श्री सचिन डोडवे	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
65	श्री विकास जमरे	वनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
66	श्री रादेश ठकराला	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
67	श्री दीपक विश्वकर्मा	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
68	सुश्री मीनाक्षी सूर्यवंशी	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
69	श्री जयपाल सिंह डोडवाल	उपवनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
परीक्षा केन्द्र - रीवा क्षेत्रीय वन वृत्त					
70	श्री लान्तव जैन	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
71	श्री सुनील सिंह जादीन	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
72	श्री पराग जैन	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
73	श्री अखिलेश कुर्मी	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
परीक्षा केन्द्र - सागर क्षेत्रीय वन वृत्त					
72	श्री अंकित सिंह	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
73	श्री नीरज अग्र	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
74	श्री राजबहादुर तिवारी	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
75	श्री शुभम तिवारी	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
76	श्री भोपत सिंह गौड	उपवनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
परीक्षा केन्द्र - शाहडोल क्षेत्रीय वन वृत्त					
77	श्री अनिल कुमार सिंह	सहायक परियोजना क्षेत्रपाल	-	लेखा	-
78	श्री ओंकार बनवासी	सहायक परियोजना क्षेत्रपाल	-	लेखा	-
79	श्रीमती यासमीन खान	सहायक परियोजना क्षेत्रपाल	-	लेखा	-

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पद	परीक्षा विषय जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं		
			प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
80	श्री अभित सिंह चंदेल	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
81	सुश्री प्रज्ञा गुप्ता	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
82	श्री गौरव दुबे	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
83	श्री बलराम सिंह कंवर	कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
84	श्री हरीश कुमार तिवारी	कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल	-	-	सामान्य विधि
85	श्री नरेन्द्र कुमार बाथम	कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
86	श्री बेसाखू कोल	कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
87	श्री अनुपम मिश्रा	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
परीक्षा केन्द्र - सिवनी क्षेत्रीय वन वृत्त					
88	श्री सुशील परमार	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
89	श्री सौरभ चौरसिया	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
90	श्री आकाश पटेल	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
91	श्री पंकज राहंडाले	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
92	श्री झुमकलाल कटरे	कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
93	श्री नर्मदा प्रसाद भलावी	कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
परीक्षा केन्द्र - शिवपुरी क्षेत्रीय वन वृत्त					
94	श्री पवन शर्मा	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
95	श्री मनीष शर्मा	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
96	श्री सोमेश शर्मा	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
97	श्री अरविंद सिंह भदौरिया	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
98	श्री काशीराम अहिरवार	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
परीक्षा केन्द्र - उज्जैन क्षेत्रीय वन वृत्त					
99	श्री विशाल खेडकर	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
100	श्री तनय कुलश्रेष्ठ	वनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
101	श्री अनिल कुमार	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
102	श्री अभिजीत सॉकला	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
103	श्री कमल सिंह देवडा	कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
104	श्री सचिव भोडले	प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
105	श्री मदन सिंह मोहरे	कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-

बी. एस. अन्निगेरी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक.

राज्य शासन के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 जनवरी 2026

क्र.-765376-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2026.- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा, ग्राम-नवेगांव, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के घाट परासिया (नवेगांव) जलाशय के बांध/नहर निर्माण से डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 को किया गया है। तदुपरांत अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत निर्धारित समयावधि एक वर्ष के भीतर धारा 23 के तहत अवार्ड आदेश पारित नहीं किया गया है।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 22-कार्य-2026, छिन्दवाड़ा, दिनांक 01 जनवरी 2026 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है।

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

क्र.-765380-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2026.- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा, ग्राम-घाट परासिया, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के घाट परासिया (नवेगांव) जलाशय के बांध/नहर निर्माण से डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 को किया गया है। तदुपरांत अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत निर्धारित समयावधि एक वर्ष के भीतर धारा 23 के तहत अवार्ड आदेश पारित नहीं किया गया है।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 35-कार्य-2026, छिन्दवाड़ा, दिनांक 01 जनवरी 2026 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है।

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरेंद्र नारायण, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 19 जनवरी 2026

क्र.-132-भू-अर्जन-2026.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) एवं (12) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे.में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	बिलासपुर	बिलासपुर	0.293	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	करूवा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुलहरी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

क्र.-133-भू-अर्जन-2026.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) एवं (12) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे.में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	बिलासपुर	झापी	2.110	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	करूवा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुलहरी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

क्र.-134-भू-अर्जन-2026.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) एवं (12) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे.में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	बिलासपुर	अमदरी	2.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	करूवा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दुलहरी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

क्र.-135-भू-अर्जन-2026.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) एवं (12) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे.में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	बिलासपुर	उमरपानी	1.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	करूवा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दुलहरी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

क्र.-136-भू-अर्जन-2026.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) एवं (12) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	बिलासपुर	बिरसिंहपुर	0.580	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	करुवा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दुलहरी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

धरणेन्द्र कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 20 जनवरी 2026

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ 82-25-26-पत्र क्र.-73-भू-अर्जन-2026.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलग्न सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे.में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	देवरा	0.3188	उप मुख्य अभियंता, (निर्माण-2) प.म.रे. सतना (म.प्र.).	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेल लाइन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतीश कुमार एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश (पदेन उपसचिव) एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 240-भू-अर्जन-2026

धार, दिनांक 9 जनवरी 2026

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में बदनावर माईको उदवहन सिंचाई परियोजना पम्पहाऊस नम्बर-04 पर आने-जाने के लिए पंधुच मार्ग के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- कुवां, प.ह.न. 75/211 तहसील धार जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- कुवां, प.ह.न. 75/211, तहसील धार, जिला धार

क्र०	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे.मे)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	बदनावर माईको उदवहन सिंचाई परियोजना पम्पहाऊस नम्बर-04 पर आने-जाने के लिए पंधुच मार्ग के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु	0.565	0.000	0.565
योग		0.565	0.000	0.565

अनुसूची (2)

बदनावर माईको उदवहन सिंचाई परियोजना पम्पहाऊस नम्बर-04 पर आने-जाने के लिए पंधुच मार्ग के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम कुवा तहसील धार की प्रभावित भूमि का विवरण

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हे.मे)			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे.मे)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	दूगरसिंह, बुदा पिता गयानसिंह जाति भीलाला पता कुवां धार धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	15/1	2.876	0.000	2.876	0.083	0.000	0.083
2	धुरका पिता नानका पता कुवा धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	11/1	1.000	0.000	1.000	0.150	0.000	0.150
3	दितला पिता नानका जाति भीलाला पता कुवा धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	11/2	1.000	0.000	1.000	0.150	0.000	0.150
4	बुरका, केकडिया, दिल्ली, तेरसिंह पिता नानका जाति भीलाला पता कुवा धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/1	1.000	0.000	1.000	0.152	0.000	0.152
5	मलसिंह, लालसिंह, बोदर पिता छगन जाति भीलाला पता कुवा धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/2	0.253	0.000	0.253	0.030	0.000	0.030
योग		05	6.129	0.000	6.129	0.565	0.000	0.565

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन सचिव एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील मनावर,
जिला धार, मध्यप्रदेश**

प.क्र.-428-भू-अर्जन-री-1-2025-रा.प्र.क्र.-0061-बी-121-2024-25

मनावर, दिनांक 19 जनवरी 2026

प्ररूप- "घ"
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-201/भू-अर्जन/री-1/2025, मनावर, दिनांक 29.01.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बदनावर उदवहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-धनोरा, प.ह.नं.- 85/212, रा.नि.मं.-बाकानेर, तहसील- मनावर, जिला- धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम- धनोरा, प.ह.नं.- 85/212	118	0.074
			92/2	0.050
			113/1	0.061
			126/2	0.017
			113/2	0.033

जिला	तहसील	ग्राम / पंचायती हल्का / कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम- धनोरा, प.ह.नं.- 85 / 212,	125/1	0.009
			125/3	0.015
			126/1	0.035
			91/3	0.102
			91/1	0.019
			94/1/1	0.040
			94/1/2	0.010
			87/1/1	0.003
			87/1/2	0.042
			87/2	0.016
			84/1	0.017
			86/1	0.011
			86/2	0.026
			85/2	0.047
			71/1	0.019
			77/2	0.006
			72/2	0.022
			48/2	0.058
			72/1	0.023
			46	0.058
			49/2/1	0.029
			49/2/2/2	0.046
			43/1/1/1	0.013
			43/2/2/3	0.005
			43/1/1/2	0.013
			43/2/2/2	0.005
			43/1/1/3	0.013
			43/2/2/1	0.006
			43/1/1/4	0.013
			43/2/2/4	0.006
			43/1/2	0.068
			43/2/1	0.042
			43/2/2/5	0.017
			42/1/2/1	0.013
			42/1/2/2	0.013
			42/1/2/3	0.012
			42/2/1	0.014
			210/1/2/1	0.051
			42/2/2	0.015
			210/1/3/1	0.051
			210/1/3/2	0.055
			42/2/3	0.022
			210/1/1	0.046
			34/2/2	0.020
कुल योग			49	1.401

प.क्र.-425-भू-अर्जन-री-1-2025-रा.प्र.क्र.-0149-बी-121-2023-24

प्ररूप- "घ"
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3239/भू-अर्जन/री-1/2023, मनावर, दिनांक 24.11.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-टवलाई खुर्द, प.ह.नं.- 125, रा.नि.मं.-बाकानेर, तहसील- मनावर, जिला- धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.01.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम- टवलाई खुर्द, प.ह.नं.- 125,	32/1/1	0.026
			32/1/2	0.026
			32/2	0.019
			35/1	0.028
			30/1	0.125
			29/2/1	0.029
			29/2/2	0.015
			29/1	0.030
			38/1	0.058
			22/2/1/1	0.090
			27/2	0.040
			23/1/1	0.033
			23/1/2	0.042
			23/2	0.022
			23/3	0.016
			23/4	0.020
			23/5/1/1	0.028
			16/1	0.046
			20/1	0.004
			21/1	0.012
			59/2	0.028
			62/5	0.032
			62/6/2	0.028
			61/1/1	0.087
			61/1/2	0.003
			61/2/2/1	0.067
			61/2/1	0.008
कुल योग			27	0.962

प.क्र.-420-भू-अर्जन-री-1-2025-रा.प्र.क्र.-0151-बी-121-2023-24

प्ररूप- "घ"

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3220/भू-अर्जन/री-1/2023, मनावर, दिनांक 24.11.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बदनावर उदवहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बंजारी, प.ह.नं.- 89, रा.नि.मं.-बाकानेर, तहसील- मनावर, जिला- धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.01.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम- बंजारी, प.ह.नं.- 89,	12/17	0.010
			12/18	0.006
			12/10	0.009
			12/11	0.015
			12/12/2	0.010
			12/12/1	0.010
			16/1/3	0.009
			16/2	0.016
			16/1/4/1	0.008
			16/1/4/2	0.016
			16/1/5	0.017
			16/1/2/2	0.017
			16/1/2/3	0.017
			16/1/1	0.025
			25/7	0.023
			25/3	0.023
			25	0.042
			24/2/1	0.019
			24/3	0.017
			24/5	0.013
			24/4	0.034
			81/1	0.013
			81/2	0.012
कुल योग			23	0.381

प.क्र.-180-भू-अर्जन-री-1-2026-रा.प्र.क्र.-0076-बी-121-2025-26

धार, दिनांक 20 जनवरी 2026

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- लटामली, प.ह.नं.-75, रा.नि.मं.-02, सलकनपुर, तहसील- धार, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	धार	ग्राम- लटामली, प.ह.नं.-75,	161/2	0.019
			159/2	0.024
			169	0.026
			159/1	0.024
			157/1	0.029
			68/2	0.055
			64/2	0.115
			63/1	0.018
			63/2	0.024
			63/3	0.021
			60/2	0.028
			59/2	0.028
			108/1	0.054
			108/2	0.024
			107/1	0.060
			100	0.042
			107/4/1	0.031
			107/4/2	0.005
			107/4/5	0.004
			81/5	0.025
			81/6	0.012
			81/7	0.019
			81/8	0.017
			101/1	0.072
			101/2	0.020
			288/2	0.082
कुल योग			26	0.878

प.क्र.-190-भू-अर्जन-री-1-2025-रा.प्र.क्र.-0123-बी-121-2025-26

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- जामला, प.ह.नं.-75, रा.नि.मं.-02, सलकनपुर, तहसील- धार, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	धार	ग्राम— जामला, प.ह.नं.—75,	5	0.003
			3	0.024
			9/1	0.145
			12	0.081
			कुल योग	

प.क्र.-185-भू-अर्जन-री-1-2026-रा.प्र.क्र.-0124-बी-121-2025-26

प्ररूप- "ख"
{नियम-5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उदवहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- कुवां, प.ह.नं.-213, रा.नि.मं.-02, सलकनपुर, तहसील- धार, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	धार	ग्राम- कुवां, प.ह.नं.-213,	48/5	0.029
			48/6	0.015
			48/4	0.015
			46/2	0.033
			46/1	0.033
			44/2	0.040
			40/17	0.006
			40/15	0.006
			40/14	0.005
			40/11	0.004
			40/12	0.008
			35/2	0.046
			33	0.054
			32/2	0.096
			31	0.058
			29/1	0.009
			13/1	0.014
			13/2	0.014
			15/2	0.064
			22/1	0.118
			74	0.083
कुल योग			21	0.750

राहुल गुप्ता, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. Q-82-2024-25-अर्जन

विदिशा, दिनांक 13 जनवरी 2026

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनीता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनीता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए) 371/2018/एम.पी.एस./31/ 1742/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनीता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/19/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, यहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि एवं मकानों का अर्जन किया जाता है।

(1)	परियोजना का नाम	हनीता सिंचाई परियोजना
(2)	भूमि का विवरण :	
	1. जिला	विदिशा
	2. तहसील	पठारी
	3. ग्राम	खजुरिया (पूरक)
	4. पटवारी हल्का नं.	13
	5. अर्जित भूमि का कुल रकबा हे० में	2.038
	6. अर्जित भवन/ परिसम्पत्तियों का विवरण क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	383.71
	कुल अर्जित रकबा हेक्टेयर में	2.076

-: अनुसूची (1) :-					
स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकबा (हे० में०)	अर्जित रकबा (हे० में)
1	नरबंदी पुत्र थनुआ उर्फ थानसिंह जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, मृगालाल पुत्र थनुआ उर्फ थानसिंह जाति सहरिया पता खजुरिया पठारी विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, मीराबाई पुत्र थनुआ उर्फ थानसिंह जाति सहरिया पता खजुरिया पठारी विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, रामदयाल पुत्र परम जाति सहरिया पता खजुरिया पठारी विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, काशीराम पुत्र परम जाति सहरिया पता खजुरिया पठारी विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	निजी	33	2.038	2.038
		योग	1	2.038	2.038

भूमि पर स्थित मकान इत्यादि का विवरण जो FTL एवं MWL के अंदर है								
स.क्र.	भूमि का मद	भू-धारक का विवरण	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित मकान का विवरण	लम्बाई×चौड़ाई मीटर में	प्रभावित मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	निजी	मूलचंद पिता दौलत जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	रूपेश पिता मूलचंद अहिरवार	28/1/1	2.500	मकान पक्का	4.62x3.75	17.32
						नींव भरा प्लाट	4x3.75	15.00
						योग		32.32
2	निजी	मूलचंद पिता दौलत जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	ब्रजेन्द्र पिता मूलचंद अहिरवार	28/1/1	2.500	मकान पक्का	4.62x3.75	17.32
						योग		17.32
3	शासकीय	आबादी गांवठान	हीरालाल पिता तिजु अहिरवार	18/4	3.500	मकान कच्चा	6.60x4.20	27.72
						दहलान	6.60x2.00	13.20
						टपरा	3.30x2.90	9.57
						आंगन खुला	6.60x5.90	38.94
						योग		89.43
4	शासकीय	आबादी गांवठान	रतिवाई पति तिजु अहिरवार	18/4	3.500	मकान कच्चा	6.60x4.10	27.06
						दहलान	6.60x2.00	13.20
						मकान कच्चा	4.10x2.60	10.66
						दहलान	2.60x2.10	5.46
						आंगन खुला	5.70x6.40	36.48
						योग		92.86
5	शासकीय	आबादी गांवठान	भूपेन्द्र पिता तुलसीराम अहिरवार	18/4	3.500	मकान कच्चा	6.20x4.50	27.90
						दहलान	6.20x3.00	18.60
						मकान कच्चा	6.20x2.00	12.40
						आंगन खुला	6.90x5.40	37.26
						मकान पक्का	7.20x4.20	30.24
						आंगन खुला	7.10x3.20	22.72
						आंगन खुला	1.20x1.20	1.44
						पानी की टंकी	1.40x0.80	1.12
						योग		151.78
						कुल योग :-		383.71

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रमारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रमारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रमारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रमारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रमारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला विदिशा अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलेगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अंशुल गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

पन्ना, दिनांक 21 जनवरी 2026

प्रकरण क्रमांक 0018/अ-82 वर्ष 2025-26 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	-	पन्ना
(ख) तहसील	-	अजयगढ़
(ग) ग्राम	-	सबुआ
(घ) क्षेत्रफल	-	2556.7417 वर्गमीटर

क्र०	अतिक्रमणकर्ता का नाम/पिता/पति का नाम/पता	भूमि का विवरण		रिमार्क
		शासकीय भूमि खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रभावित क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	
1	प्रेमबाई पति रामकृपाल प्रजापति निवासी सबुआ	427	स्थाई खपरेल, रहवासी (कच्चा) $9 \times 5 = 45$	45.00
2	मुकेश पिता सुन्दरलाल प्रजापति	427	ईटों की बाउंड्री (सीमेंट सीट) ल० 9.30, ऊ० 8.30	00
3	रामनारायण पिता मुल्ला प्रजापति	427	स्थाई रहवासी (पक्का) $6.85 \times 5 = 34.25$	34.25
4	राजाराम पिता मुल्ला प्रजापति	427	स्थाई रहवासी (पक्का) $6 \times 4.85 = 29.1$	29.10
5	कोमल पिता रामकृपाल प्रजापति	427	स्थाई रहवासी (पक्का) $8 \times 6 = 48$	48.00
6	मोहन पिता राममिलन प्रजापति	427	स्थाई रहवासी (पक्का) $8 \times 6 = 48$	48.00
7	सामुदायिक भवन शौचालय सबुआ	427	(पक्का) $6.55 \times 4.30 = 28.165$	28.165
8	पौष्टिक श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सबुआ	427, 67	बाउंड्री (पक्की) ल० 119.5, ऊ० 1.75	00
9	रामकिशोर पिता रामकृपाल साहू	67	स्थाई रहवासी, सीडी (पक्का) $4.600 \times 4.00 = 18.4$	18.40
10	रामपाल पिता महादेव साहू	67	(a) स्थाई, दुकान (सीमेंट सीट दीवालें पक्की) $6.100 \times 2.650 = 16.165$ बोर-1 (b) टीन सेटे (लोहे के एंगल) $10.20 \times 4.00 = 40.80$	105.155

			(c) स्थाई दुकान (पक्का)-भू तल $6.100 \times 3.95 = 24.095$ (d) मकान (पक्का)-प्रथम तल $6.100 \times 3.95 = 24.095$	
11	बलराम पिता देवीदीन यादव	67	स्थाई रहवासी (पक्का) $6.100 \times 1.700 = 10.37$	10.37
12	भगवतदीन पिता महादेव साहू	67	(a) स्थाई रहवासी (सीमेंट सीट, लोहे के एंगल) $6.250 \times 2.100 = 13.125$ (b) स्थाई रहवासी (पक्का) $6.250 \times 3.100 = 19.375$ (c) स्थाई रहवासी (पक्का)-भू तल $6.250 \times 2.400 = 15$ (d) मकान (पक्का)-प्रथम तल $6.250 \times 2.400 = 15$	62.50
13	रामाधार पिता भगवतदीन साहू	67	(a) स्थाई रहवासी (टीन सेट, लोहे के एंगल) $6.100 \times 3.400 = 20.74$ बोर-1 (b) स्थाई रहवासी मकान (पक्का)-भू तल $6.10 \times 6.80 = 41.48$ (c) लैट्रिंग टैंक (पक्का) $3.10 \times 3.10 = 9.61$ (d) मकान (पक्का)-प्रथम तल $6.10 \times 6.80 = 41.48$	113.31
14	मथुरिया पति रतिराम अहिरवार, महेश, राकेश, तुलसीदास, विनोद पिता रतीराम अहिरवार	67	(a) बाउंड्री ल0 10, ऊं0 2.20 (b) स्थाई रहवासी मकान (पक्का) $3.900 \times 2.00 = 7.80$	7.80
15	किशोरी पिता मुक्ता पटेल	67	(a) पशु का टपरा (धास व लकड़ी का) $8.50 \times 6.43 = 54.655$ (b) मकान, रहवासी (पक्का) $3.700 \times 2.00 = 7.40$	62.055
16	गुलजरिया पिता बुधुवा अहिरवार	67	ईंटों की बाउंड्री ल0 5.80 x 5.0 = 29, ऊं0 1.40	00
17	मीरा पति दुर्जन यादव	67	(a) टीन सेट (लोहे के एंगल) $6.500 \times 3.100 = 20.15$ बोर-1 (b) मकान रहवासी (पक्का) $6.500 \times 3.800 = 24.7$	44.85
18	रघुवीर पिता हरदास अहिरवार	67	सीमेंट सीट (पक्की दीवाल) $7.700 \times 4.00 = 30.80$	30.80
19	दगाली पिता हरदास अहिरवार	67	सीमेंट सीट (पक्की) $8.200 \times 3.700 = 30.34$	30.34
20	स्वामीदीन पिता राजाराम पटेल	67	ईंटों की बाउंड्री पिलर बनाकर (लोहे का गेट, सीमेंट सीट) $8.400 \times 8.200 = 68.88$	68.88
21	लक्ष्मण पिता बुद्धा पटेल	67	(a) मिट्टी की बाउंड्री (कच्ची) $10 \times 3.750 = 37.50$ (b) सीमेंट सीट (पक्की दीवाल) $3.300 \times 3.250 = 10.725$	48.225
22	चिरीजी पिता राजाराम पटेल	67	(a) खपरैल रहवासी (कच्चा, ईंटों की दीवाल) $10.70 \times 3.30 = 35.31$ (b) स्थाई रहवासी, मकान (पक्का) $4.80 \times 3.90 = 18.72$ (c) खपरैल, रहवासी (कच्चा, ईंटों की दीवाल)	75.87

			5.60x3.90= 21.84	
23	मथुरा प्रसाद पिता बुद्धा पटेल	67	स्थाई, रहवासी, मकान (पक्का) 11.90 x 8.50= 101.150	101.150
24	राजबहादुर पटेल पिता रामखिलावन पटेल	67	टीन सेट लोहे (एंगल सहित प्लांट) 12.60 x 9.80= 123.480	123.480
25	राजेश पिता रामाप्रसाद तिवारी	67	(a) टीन सेट, लोहे के एंगल (ईंटों की दीवाल) 3.20 x 2.50= 8	8.00
26	बंदू पिता मुल्ला पटेल	67	(a) स्थाई, रहवासी (पक्का) 3.40 x 2.00= 6.8 (b) खपरैल स्थाई, रहवासी (ईंटों की दीवाल) 6.40 x 2.30= 14.72	21.52
27	किशोरीलाल पिता मुल्ला पटेल	67	शीचालय सीमेंट सीट (पक्की) 1 x 1= 1	1.00
28	भूरा पिता अच्छेलाल पटेल	67	(a) स्थाई, रहवासी, सीमेंट सीट 10.20x 4= 40.80 (b) मकान रहवासी (पक्का) 4.50x3.50 =15.75	56.55
29	जगदीश पिता मुल्ला पटेल	67	(a) स्थाई, रहवासी, सीमेंट सीट (पक्की दीवालें) 3.40x 2.50= 8.50 (b) स्थाई, रहवासी खपरैल (ईंटों की दीवाल) 11.60x3.00 =34.80 (c) स्थाई, रहवासी मकान (पक्का) 3.40x3.30 =11.22	54.52
30	हरीराम पिता किशोरी पटेल	67	(a) स्थाई मकान, रहवासी(पक्का) 3.90x3.30=12.87 (b) मकान रहवासी (कच्चा) 5.70x7.50= 42.750	55.62
31	रमेश पिता किशोरी पटेल	67	सीमेंट सीट (ईंटों की दीवाल) 6.80x3.90= 26.52	26.52
32	हेमराज पिता किशोरी पटेल	67	सीमेंट सीट (पक्की दीवालें) 6.60x3.90= 25.74	25.74
33	शिवधनी पिता सूरु यादव	67	दुकान (पक्की) 6.50x2.50= 16.25	16.25
34	रामदास पिता रज्जू साहू	67	सीमेंट सीट (पक्की दीवालें) 9.90x3.00= 29.7	29.70
35	अयोध्या पिता रज्जू साहू	67	खपरैल, स्थाई रहवासी (कच्चा) 9.40x4.20= 39.48	39.48
36	सुशील पिता अच्छेलाल साहू	67	(a) सीमेंट सीट (पक्की दीवालें) 8.35x2.90=24.215 (b) खपरैल (कच्चा) 5.35x1.90= 10.165	34.38
37	सुनील पिता अच्छेलाल साहू	67	(a) सीमेंट सीट (पक्की दीवालें) 8.35x2.90=24.215 (b) खपरैल (कच्चा) 5.35x1.90= 10.165	34.38
38	जुगल किशोर पिता रामखिलावन त्रिवेदी, दिनेश पिता रामखिलावन त्रिवेदी निवासी बललान जिला बांदा उ०प्र०	67	अस्थाई बिना छाया हुआ (ईंटों का मकान) 13.00x7.200= 93.6	93.60
39	वीरेन्द्र पिता देशराज यादव	67	(a) रहवासी स्थाई सीमेंट सीट (लोहे के एंगल) 3.150x2.10=6.615 (b) रहवासी स्थाई मकान (पक्का) 3.150x3.80= 11.97 (c) रहवासी स्थाई मकान (पक्का)-मू तल 3.150x4.600= 14.49	47.565

			(d) मकान (पक्का)-प्रथम तल $3.150 \times 4.600 = 14.49$	
40	हेतराम पिता देशराज यादव	67	(a) रहवासी स्थाई, सीमेंट सीट (लोहे के एंगल) $3.150 \times 2.10 = 6.615$ (b) रहवासी स्थाई, मकान (पक्का) $3.150 \times 3.80 = 11.97$ (c) रहवासी स्थाई मकान (पक्का)-भू तल $3.150 \times 4.600 = 14.49$ (d) मकान (पक्का)-प्रथम तल $3.150 \times 4.600 = 14.49$	47.565
41	रामकिशोर पिता माया यादव	67	(a) रहवासी स्थाई, मकान (पक्का)-भू तल $3.00 \times 8.400 = 25.20$ (b) लैट्रिंग टैंक (पक्का) $3.04 \times 3.04 = 9.2416$ (c) मकान (पक्का)-प्रथम तल $3.00 \times 8.400 = 25.20$	59.6416
42	पूरन पिता रामकुमार यादव	67	(a) रहवासी स्थाई, मकान (पक्का)-भू तल $3.50 \times 1.70 = 5.95$ (b) रहवासी स्थाई, मकान (पक्का)-भू तल $7.40 \times 3.50 = 25.90$ (c) रहवासी स्थाई, मकान (पक्का)-भू तल $8.40 \times 4.00 = 33.60$ (d) रहवासी स्थाई, खपरैल -प्रथम तल $4.00 \times 3.70 = 14.80$	80.25
43	कमलेश पिता रामगोपाल यादव	67	(a) रहवासी स्थाई मकान (पक्का)-भू तल $9.30 \times 3.40 = 31.62$ बोर-1 (b) लैट्रिंग टैंक (पक्का) $3.04 \times 2.44 = 7.4176$ (c) मकान (पक्का)-प्रथम तल $9.30 \times 3.40 = 31.62$	70.6576
44	राजू पिता रामऔतार पाठक	67	रहवासी स्थाई, मकान (पक्का) $6.00 \times 3.800 = 22.80$	22.80
45	रामऔतार पिता रामलगन पाठक	67	(a) रहवासी स्थाई मकान, सीमेंट सीट (पक्की दीवारें) $4.80 \times 4 = 19.2$ (b) रहवासी स्थाई, मकान (पक्का) $5.60 \times 3.80 = 21.28$	40.48
46	नीलकंठ पिता रामलगन पाठक	67	(a) रहवासी स्थाई, मकान, खपरैल (कच्चा) $12.80 \times 3.70 = 47.36$ (b) रहवासी स्थाई मकान (पक्का) $5.20 \times 4.00 = 20.80$	68.16
47	काली माता का मंदिर	427	पक्का $0.95 \times 1.35 = 1.2825$ चबूतरा $7.50 \times 4.20 = 31.5$	32.7825
48	मोहन लाल यादव पिता भगवत प्रसाद यादव, रामप्रसाद पिता भगवत प्रसाद यादव, सीताराम पिता भगवत प्रसाद यादव	427	रहवासी स्थाई, मकान (पक्का)-भू तल $14.30 \times 4.80 = 68.64$ छत का बारजा (पक्का)-भू तल $14.30 \times 1.20 = 17.16$ चबूतरा (पक्का)-भू तल $4 \times 1.10 \times 1.5 = 6.60$ चबूतरा (पक्का)-भू तल $4.80 \times 1.60 = 2.88$ छत का बारजा (पक्का)-भू तल $4.80 \times 1.20 = 5.76$	249.40

			छत की सीढ़ी (पक्का)-मू तल 16x1.10= 17.60 मकान (पक्का)-प्रथम तल 14.30x4.80= 68.64 छत का बारजा (पक्का)- प्रथम तल 14.30x1.20= 17.16 छत का बारजा (पक्का)- प्रथम तल 4.80x1.20= 5.76 छत की सीढ़ी (पक्का)- प्रथम तल 16x1.10= 17.60 मकान खपरैल- द्वितीय तल 4.80x4.50= 21.60	
49	बन्बू पिता मुनुवा खटीक	427	(a) रहवासी स्थाई, मकान खपरैल(पक्की दीवारें) 8.40x4.20= 35.28 (b) रहवासी स्थाई, मकान (पक्का) 3.50x1.80= 6.30	41.58
50	महेन्द्र व राजेन्द्र पिता दसईलाल जैन	427	अस्थायी गैररहवासी (पक्का) 9.90x3.50= 34.65	34.65
51	राहुल पिता महेन्द्र जैन व रवि पिता राजेन्द्र जैन	427	दुकान (पक्की) 6.70x3.50= 23.45	23.45
52	अखिलेश पिता सुखवन लाल जैन	427	(a) दुकान, पन्नी का टपरा (लोहे के एंगल) 4.60x3.00= 13.80 (b) स्थाई दुकान, टीन सेट (पक्की दीवार) 4.60x6.50= 29.90	43.70
53	लियाकत अली पिता सौकत अली नि0 मापतपुर कुर्मियान	427	(a) सीमेंट सीट (लोहे के एंगल) 4.70x6.50= 30.55 (b) टीन सेट (पक्की दीवार) 4.70x6.50= 30.55	61.10
कुल किता- 53		कुल प्रभावित क्षेत्रफल-2556.7417 वर्गमी0	2556.7417 वर्ग मी0	

- [2] ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु शासकीय भूमि पर स्थित मकानों के अर्जन हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम सन्धुआ तह0 अजयगढ़ जिला पन्ना।
- [3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण उपमह्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऊषा परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र. 02-भू-अर्जन-री-1-2025-26-अ-82

मंदसौर, दिनांक 21 जनवरी 2026

मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

इस अधिनियम के अंतर्गत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कयामपुर-सीतामऊ दाब युक्त सूक्ष्म वृहद् उद्बहन सिंचाई परियोजना, तहसील-सीतामऊ, ग्राम-ऐरा, किशनगढ़, गलिहारा, सुरखेडा, पिपल्या-धाकड, चिकला, दम्माखेडी, कराडिया, गुराडिया गौड, धाराखेडी, भाटखेडी, निपानिया, सुर्याखेडा, पतलासी-छोटी, विशिनया, कस्बा सीतामऊ, मोरखेडा, जिला-मंदसौर के खातेदारों की निजी भूमि से भूमिगत पाइप लाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम-ऐरा, किशनगढ़, गलिहारा, सुरखेडा, पिपल्याधाकड, चिकला, दम्माखेडी, कराडिया, गुराडियागौड, धाराखेडी, भाटखेडी, निपानिया, सुर्याखेडा, पतलासी छोटी विशिनया, कस्बा सीतामऊ, मोरखेडा तहसील-सीतामऊ, जिला-मंदसौर के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना की संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिए अधिकारों का अर्जन किया जावे।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाइन केवल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सीतामऊ, जिला-मंदसौर (म.प्र.) को लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा।

-: अनुसूची :-

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टरमें)
मंदसौर	सीतामऊ	किशनगढ़	141	0.140
			129	0.016
			138	0.064
			137	0.039
			130	0.272
			131	0.209
			132	0.098
			139	0.183
			140	0.001
			142	0.056
				0.102
मंदसौर	सीतामऊ	गलिहारा	12	0.023
			13	0.005
			18	0.095
			10	0.412
			19	0.011
मंदसौर	सीतामऊ	सुरखेडा	959	0.050
			960	0.124
			961/2	0.037
मंदसौर	सीतामऊ	पिपल्या धाकड	262	0.105
			247	0.009
			249	

			257	0.026
			261	0.077
			246	0.114
			260	0.126
			248	0.010
			348	0.211
			284	0.004
			283	0.110
			312	0.062
			310	0.191
			282	0.045
			288	0.011
			311	0.005
			318	0.008
			811	0.037
			816	0.043
			810	0.042
			806	0.032
			805	0.023
			812	0.001
			828	0.061
			815	0.109
			829	0.038
			807	0.034
			800	0.001
			853	0.124
			803	0.012
			804	0.013
			813	0.051
			406	0.012
			407	0.010
			403	0.080
			405	0.022
			358	0.008
			402	0.006
			453	0.006
			632	0.044
			799/2	0.018
			798	0.008
			799/1	0.179
मंदसौर	सीतामऊ	ऐरा	1988	0.034
			1987	0.044
			1951	0.030
			1992	0.103
			1966	0.044
			1985	0.024
			1983	0.001
			1944	0.019
			1952	0.008
			1986	0.010
			1984	0.081
			1990	0.044
			1991	0.024
मंदसौर	सीतामऊ	चिकला	600	0.006
			598	0.060
			599	0.016

			596	0.025
			597	0.061
			593	0.020
			595	0.077
			526	0.053
			530	0.006
			573	0.027
			591	0.016
			575	0.084
			577	0.031
			527	0.018
			578	0.054
			608	0.037
			590	0.013
			589	0.042
			523	0.014
			177	0.075
			90	0.001
			91	0.031
			176	0.045
			467	0.046
			476	0.103
			477	0.083
			468	0.008
			454	0.026
			458	0.059
			123	0.041
			116	0.072
			456	0.068
			457	0.001
			92	0.013
			86	0.010
			115	0.013
			154	0.004
			111	0.077
			455	0.021
			104	0.031
			114	0.014
			1	0.024
			6	0.029
			7	0.071
			9	0.055
			14	0.070
			15	0.097
			16	0.012
			17	0.008
			26	0.215
			27	0.002
			141	0.005
			90	0.001
			110	0.535
			169	0.049
			115/1	0.061
			168	0.010
			151	0.010
			108	0.005
मंदसौर	सीतामऊ	दम्माखेडी		
मंदसौर	सीतामऊ	कराडिया		

			107	0.048
			386	0.153
			116	0.053
			139	0.074
			335	0.030
			109	0.086
			137	0.105
			333	0.003
			336	0.030
			130	0.015
			97	0.146
			136	0.076
			138	0.008
			167	0.090
			329	0.064
			330	0.035
			334	0.115
			337	0.024
			360	0.014
			378	0.012
			381	0.115
			383	0.081
			385	0.009
			98	0.037
			384	0.001
			343	0.248
			344	0.126
			342	0.010
मंदसौर	सीतामऊ	गुराडिया गौड	194	0.038
मंदसौर	सीतामऊ	धाराखेडी	113	0.085
			182	0.058
			112	0.053
			122	0.019
			110	0.035
			114	0.003
			137	0.036
			80	0.101
			136	0.023
			142	0.007
			143	0.010
			126	0.101
			127	0.111
			133	0.024
			125	0.014
			178	0.006
			86	0.003
			107	0.007
			134	0.004
			135	0.014
			139	0.005
			145	0.106
			121	0.106
			123	0.001
मंदसौर	सीतामऊ	भाटखेडी	192	0.029
			406/424	0.002

			417/1	0.003
			418	0.158
			403	0.111
			411	0.022
			416	0.053
			404	0.040
			410	0.059
			407	0.061
			394	0.017
			392	0.012
			423	0.022
मंदसौर	सीतामऊ	निपानिया	29/2	0.024
			10	0.014
			20	0.074
			23	0.062
			29/3	0.017
			29/1	0.060
			1	0.109
			3	0.004
			8	0.006
			11	0.020
			330	0.001
			2	0.127
			30	0.037
			50/3	0.004
			50/1	0.016
			32	0.090
			50/2	0.016
			37/3	0.033
			28	0.006
			37/1	0.039
			37/2	0.025
			38	0.103
			31	0.033
			19	0.058
			14	0.018
मंदसौर	सीतामऊ	सुर्याखेडा	682	0.005
			696	0.019
			704	0.051
			706	0.101
			708	0.061
			709	0.023
			712	0.031
			713	0.047
			714	0.001
			715	0.022
			716	0.051
			717	0.004
			723	0.006
			729	0.007
			730	0.100
			731	0.035
			732	0.038
			733	0.005
			740	0.005
			742	0.048

			743	0.020
			744	0.019
			752	0.024
			784	0.005
			854	0.012
			855	0.023
			859	0.039
			860	0.036
			885	0.003
			892	0.048
			893	0.002
			894	0.027
			895	0.004
			910	0.007
			911	0.034
			912	0.032
			914	0.001
			915	0.022
			916	0.024
			917	0.005
			920	0.033
			921	0.016
			940	0.180
			942	0.003
			941	0.039
मंदसौर	सीतामऊ	पतलासी छोटी	1	0.004
			2	0.013
			3	0.050
			4	0.014
			5	0.001
मंदसौर	सीतामऊ	विशिन्या	1010	0.062
			1011	0.046
			1043	0.007
			1044	0.027
			1055	0.019
			1057	0.037
			1119/2	0.012
			992	0.011
			1037	0.050
			1047	0.045
			1038	0.007
			982	0.013
			983	0.014
			984	0.066
			970	0.059
			972	0.033
			1058	0.012
			1039	0.064
			1040	0.013
			1005	0.002
			1012	0.014
			1054	0.076
			1123	0.087
			1015	0.032
			966	0.034
			969	0.011

			971	0.010
			975	0.007
			986	0.014
			1000	0.012
			1028	0.014
			1046	0.006
			1124	0.014
			1062/3	0.031
			1121	0.061
			1136	0.056
			1234	0.111
			1064	0.015
			1062/2	0.030
			1062/1	0.047
			1006/2	0.022
			1006/1	0.072
			1134	0.026
			1189	0.026
			1230/1243	0.012
			1133	0.070
			1061	0.004
			1122	0.006
मंदसौर	सीतामऊ	सीतामऊ (NP)	1369/9	0.144
			1370/9	0.005
			1374/9	0.010
			10	0.211
			335	0.038
			346	0.055
			347	0.005
			351	0.142
			360	0.012
			371	0.077
			1194/349	0.003
			1271/348	0.102
			1275/349	0.026
			1276/347	0.012
			1334/349	0.063
			1198/493	0.007
			1289/473	0.096
			373	0.122
			389	0.025
			390	0.014
			396	0.063
			410	0.010
			411	0.003
			413	0.023
			414	0.052
			415	0.018
			416	0.042
			417	0.037
			470	0.017
			471	0.011
			472	0.001
			473	0.054
			474	0.007
			478	0.067
मंदसौर	सीतामऊ	मोरखेडा	488/1	0.034
			488/2	0.035
			489	0.075
			490	0.059
			493	0.014
			519	0.054
			520	0.010
			525	0.075
			526	0.119
			527	0.079
			531	0.001
कुल महायोग (हेक्टेर मे)				16.703

अदिति गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0152-ब-121-2025-26

अशोकनगर, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

गैल (इण्डिया), लिमिटेड विजयपुर द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम नईसराय स्थित (नईसराय SV स्टेशन) भूमि सर्वे क्रमांक 315 में से रकबा 0.22 हेक्टेयर, क्रमांक 316/1 में से रकबा 0.125 हेक्टेयर एवं क्रमांक 316/2/2 में से रकबा 0.06 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित सुरक्षा वाल्व SV स्टेशन, पाइपलाइन हेतु अधिग्रहित भूमि पर स्थापित किया गया है। उक्त स्थल को "सुरक्षा की दृष्टि" से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाना लोकहित में अतिआवश्यक है। स्थापित सुरक्षा वाल्व SV स्टेशन की बाउंड्री बाल 8 फीट ऊंचाई की होकर इस पर 2 फीट ऊंचाई तक कटीले तारों की फेंसिंग की गई है व सतत सुरक्षाकर्मी नियुक्त है। राष्ट्रीय महत्व की गैस पाइपलाइन के SV स्टेशन को सुरक्षा की दृष्टि से शीघ्र प्रतिबंधित/निषेध क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभाग-ईसागढ़ से स्थल जांच कर प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देशित किये जाने पर उनके द्वारा तहसीलदार नईसराय से स्थल की जांच कराई गई। जिसमें उनके द्वारा पत्र क्र./री-1/2025/1989 नईसराय, दिनांक 16.09.2025 से प्रतिवेदित किया कि ग्राम नईसराय तहसील नईसराय स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 315/1 रकबा 0.220 हे०, सर्वे क्रमांक 316/1 रकबा 0.125 हे० एवं सर्वे क्रमांक 316/2/2 रकबा 0.060 हे० भूमि पर गैल इंडिया लिमिटेड का सुरक्षा वाल्व स्टेशन स्थापित है। उक्त वाल्व स्टेशन भूमि की सतह के ऊपर है एवं नईसराय-म्याना सड़क के नजदीक स्थित है। उक्त कारण से सुरक्षा वाल्व स्टेशन को सुरक्षा की दृष्टि से निषेध क्षेत्र घोषित किया जाना उचित होगा। तहसीलदार नईसराय के प्रतिवेदन से सहमत होकर ग्राम नईसराय तहसील नईसराय स्थित सुरक्षा वाल्व स्टेशन को निषेध क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि विजयपुर (गुना) से औरैया तक गैस पाइप लाईन SV/IP/RR स्टेशन संवेदनशील स्थल होकर अत्यन्त ज्वलनशील गैस का परिवहन पाइप लाईन के माध्यम से होने व पाइप लाईन भूमि की सतह से ऊपर होने के कारण उक्त क्षेत्र पर कतिपय असमाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटना संभावित है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से लोकहित में उपरोक्त क्षेत्र को प्रतिबंधित/निषेध क्षेत्र घोषित करना आवश्यक हो गया है।

अतः गैल (इण्डिया), लिमिटेड के आवेदन-पत्र तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग ईसागढ़ के उपर्युक्त अभिमत के आधार पर अनुसूची में वर्णित स्थान को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रतिबंधित क्षेत्र / संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है।

स्टेशन क्र.	ग्राम	तहसील	जिला	सर्वे क्रमांक	SV स्टेशन की चतुर्थ सीमा
SV	नईसराय	नईसराय	अशोकनगर	315/1 में से रकबा 0.220 316/1 में से रकबा 0.125 हे० 316/2/2 में से रकबा 0.060 हे०	पूर्व : घनश्यामसिंह रघुवंशी की भूमि पश्चिम : पगडंडी रास्ता निजी भूमि में उत्तर : जितेन्द्र हिमांशु रघुवंशी की निजी भूमि दक्षिण : एस.यू.व्ही. स्टेशन का रास्ता एवं घनश्याम सिंह रघुवंशी जितेन्द्र हिमांशु की निजी भूमि

- कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार की या जिला मजिस्ट्रेट की या ऐसे अन्य अधिकारी की जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, अनुज्ञा के बिना किसी भी संरक्षित स्थान में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा या उस पर नहीं जायेगा या उसके समीप में नहीं घूमेगा।
- जहां (1) के अनुसरण में किसी व्यक्ति को किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने, उस पर या उसमें रहने या उस पर जाने की अनुज्ञा दी जाती है वहां वह व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय, अपने आचरण को विनियमित करने के लिये ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो उस प्राधिकारी द्वारा दिये जाये, जिसने अनुज्ञा दी है।
- यदि कोई व्यक्ति इस धारा के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी संरक्षित स्थान में, प्रवेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी किन्हीं भी अन्य कार्यवाहियों पर जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा।
- यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।
- संरक्षित स्थान पर तकनीकी सुरक्षा प्रबंधों की समुचित व्यवस्था की जाये।
- किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व गैल (इण्डिया), लिमिटेड विजयपुर का होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदित्य सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 326-भू-अर्जन-01-अ-82-2025-26

हरदा, दिनांक 19 जनवरी 2026

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि के कॉलम (6) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) (दिनांक 1 जनवरी, 2014 से लागू) की धारा-19 के अंतर्गत इसके लिए यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

-: अनुसूची :-

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण				प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
			भू-धारक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4				5	6
हरदा	खिरकिया	छीपाबड़	संतोष पिता शिवराम, जाति राजपूत, निवासी छीपाबड़	469/1	4.0470	0.137	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा	मुहाल माईनर एवं उसकी 1 आर सब माईनर
			नरेन्द्र दत्तक पुत्र गुलाबसिंह, जाति राजपूत, निवासी छीपाबड़	454/2	3.4400	0.215		
			राजेन्द्रसिंह पिता गंगाविशन, जाति राजपूत, निवासी छीपाबड	454/1	1.3150	0.083		
			क्षमाबाई बेवा तीरथसिंह, अभिषेक पुत्र तीरथसिंह, आरती, आयुषी एवं सोनम पुत्रीगण तीरथसिंह, जाति राजपूत, निवासी छीपाबड़	453/1	1.3160	0.057		
योग :-				04	11.4420	0.492		

नोट :-

(1) सार्वजनिक प्रयोजन, जिसके लिए आवश्यकता है - मुहाल माईनर एवं उसकी 1 आर सब माईनर हेतु।
क. (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भूमि अर्जन) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

(4) सरकार की समुचित वेबसाइट (www.Harda.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सिद्धार्थ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 32-भू-अर्जन-2025

सीधी, दिनांक 15 जनवरी 2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पूर्णवास और पूर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम	-	मुर्तला पवाई
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	मुर्तला पवाई
(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकबा 0.4500 हे०

क्रमांक	असरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	10/1/1/1	0.2210	0.0700	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
2	10/1/1/2	0.0040		
3	10/1/1/3	0.0040		
4	10/1/1/4	0.0040		
5	10/1/1/5	0.0040		
6	10/1/1/6	0.0040		
7	10/1/1/7	0.0040		
8	10/1/1/8	0.0040		
9	10/1/1/9	0.0040		
10	10/1/2	0.2580		
11	10/1/3	0.2580		
12	10/2	0.7770		
13	10/3/1/1	0.1878		
14	10/3/1/2	0.1001		
15	10/3/1/3	0.1001		
16	10/3/2	0.3880		

क्रमांक	असरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
17	61/1	0.0810	0.0400	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
18	61/2	0.2100	0.0200	
19	109/1/1/1/1/1	0.0277	0.3200	
20	109/1/1/1/1/2	0.0131		
21	109/1/1/1/1/2	0.0200		
22	109/1/1/1/1/3	0.0282		
23	109/1/1/1/1/4	0.0010		
24	109/1/1/1/2	0.0120		
25	109/1/1/1/3	0.0120		
26	109/1/1/1/4	0.0200		
27	109/1/1/2	0.0040		
28	109/1/1/3	0.0072		
29	109/1/2/1	0.0120		
30	109/1/2/2	0.0040		
31	109/1/2/3	0.0040		
32	109/1/3	0.0040		
33	109/1/4	0.0040		
34	109/1/5	0.0040		
35	109/1/6	0.0040		
36	109/1/7	0.0040		
37	109/1/8	0.0008		
38	109/1/9	0.0300		
39	109/1/10	0.0300		
40	109/1/11/1/1/1	0.0010		
41	109/1/11/1/1/2	0.0010		
42	109/1/11/1/1/3	0.0010		
43	109/1/11/1/1/4	0.0010		
44	109/1/11/1/1/5	0.0010		
45	109/1/11/1/1/6	0.0010		
46	109/1/11/1/2	0.0010		
47	109/1/11/1/3	0.0010		
48	109/1/11/1/4	0.0010		
49	109/1/11/1/5	0.0010		
50	109/1/11/1/6	0.0010		
51	109/1/11/1/7	0.0010		
52	109/1/11/1/8	0.0010		
53	109/1/11/1/9	0.0010		
54	109/1/11/1/10	0.0010		
55	109/1/11/1/11	0.0010		
56	109/1/11/1/12	0.0010		
57	109/1/11/1/13	0.0010		
58	109/1/11/1/14	0.0010		
59	109/1/11/1/15	0.0010		
60	109/1/11/1/16	0.0010		
61	109/1/11/1/17	0.0010		
62	109/1/11/1/18	0.0010		
63	109/1/11/1/19	0.0010		
64	109/1/11/1/20	0.0010		
65	109/1/11/2	0.0050		
66	109/1/12	0.0300		
67	109/1/13	0.0130		
68	109/1/14	0.0130		
69	109/1/15	0.0140		
70	109/1/16	0.0080		
71	109/1/17	0.0200		
कुल योग रकवा हे० में		2.9870	0.4500	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपसष्ठ अधिकारी सुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 34-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पूर्णवास और पूर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम	-	तितिरा बघेलान
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	00026 तितिरा शुक्लान
(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकबा 0.3016 हे०

क्रमांक	असरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
01	697	0.7500	0.3016	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
कुल योग राशि		0.7500	0.3016	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी घुसहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 30-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	चुरहट
(ग) ग्राम	-	बड़खरा 735
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	0002 बड़खरा
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकवा 0.0400 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	423	0.7900	0.0400	कान्तीदेवी पत्नी रमागोविन्द सिंह	रीवा सीधी रेल लाईन निर्माण कार्य
निजी भूमि का योग		0.7900	0.0400		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र. 0002-अ-82(NH)-2025-26

सीधी, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम-डांगी, तहसील-मझौली की निजी भूमि रकवा 0.1100 हे. का मझौली बाईपास मार्ग निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र में दिनांक 22.08.2025 को किया गया था।

नीचे दी गयी अनुसूची की कण्डिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कण्डिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कण्डिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कण्डिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	मझौली
(ग) ग्राम	-	डांगी
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	दियाडोल
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	0.1100 हे.

क्र.	खसरा नम्बर	प्रभावित रकवा हे. में	भूमि स्वामी का विवरण
1	2	4	5
1	209	0.0100	सखीता देवी पिता शीतल प्रसाद जाति ब्रा. शा. देह
2	210	0.0800	शिवनाथ, कुमार पिता वारिष्ठा कोल शा. मझौली
3	452	0.0200	जगन्नाथ, रामवीर पिता ब्रह्मचान हीन भुप्ता शा. मझौली
कुल योग		0.1100	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- मझौली बाईपास मार्ग निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण उपखण्ड अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र. 0001-अ-82(NH)-2025-26

राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम-मझौली, तहसील-मझौली की निजी भूमि एकवा 1.5373 हे. का मझौली बाईपास मार्ग निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र में दिनांक 22.08.2025 को किया गया था।

नीचे दी गयी अनुसूची की कण्डिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कण्डिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कण्डिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कण्डिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	मझौली
(ग) ग्राम	-	मझौली
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर	-	मझौली
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	1.5373 हे.

क्र.	खसरा नंबर	प्रभावित एकवा हे. में	भूमि स्वामी का विवरण
1	2	3	4
1	73/1	0.0100	बृजमोहन पिता अतिवल काछी 1/4 भाग भूमि स्वामी, प्रेमवती पुत्री गोकुल कुशवाहा 1/32 भाग भूमि स्वामी, राजकली देवा गोकुल कुशवाहा 1/32 भाग भूमि स्वामी, नोखे लाल पिता गोकुल कुशवाहा 1/32 भाग भूमि स्वामी, रानी पुत्री गोकुल कुशवाहा 1/32 भाग भूमि स्वामी, संगीता पुत्री गोकुल कुशवाहा 1/32 भाग भूमि स्वामी, रामचरण पिता गोकुल कुशवाहा 1/32 भाग भूमि स्वामी, निधि पुत्री गोकुल कुशवाहा 1/32 भाग भूमि स्वामी, संध्या कुमारी पुत्री गोकुल कुशवाहा 1/32 भाग भूमि स्वामी, रामप्रसाद पिता अतिवल कुशवाहा 1/4 भाग भूमि स्वामी, बड़वा पुत्री अतिवल काछी 1/4 भाग भूमि स्वामी.
2	73/2	0.0100	किशन, जीता, रेशमी, सीता पिता विशाल कुशवाहा
3	73/3	0.0100	गैवालाल पिता विशेश्वर काछी
4	93/2/1	0.0300	कुसुम देवा जगदीश काछी 290/1740 भाग भूमि स्वामी, दिलीप कुमार सोनी पिता गंगा प्रसाद सोनी 28/1740 भाग भूमि स्वामी, कृष्ण कुमार पिता बुद्धसेन अवधिया 28/1740 भाग भूमि स्वामी, जगत बहादुर पिता जगदीश काछी 290/1740 भाग भूमि स्वामी, मनीष पिता जगदीश काछी 290/1740 भाग भूमि स्वामी, सुनीता पुत्री जगदीश काछी 234/1740 भाग भूमि स्वामी, आरती पुत्री जगदीश काछी 290/1740 भाग भूमि स्वामी, रेखा पुत्री जगदीश काछी 290/1740 भाग भूमि स्वामी
5	91	0.0560	ललिता देवा सत्यदेव सिंह 1/3 भाग भूमि स्वामी, लक्ष्मण सिंह पिता सत्यदेव सिंह 1/3 भाग भूमि स्वामी, कंसेरी सिंह पिता सत्यदेव सिंह 1/4 भाग भूमि स्वामी, रेनु सिंह देवा धनंजय सिंह 1/24 भाग

			भूमिस्वामी, श्रेया सिंह ना.वा. पिता धनजय सिंह संरक्षक माता रेणु सिंह 1/24 भाग भूमिस्वामी
6	85/1/1/1/1	0.1200	नरसिंह देव पिता लक्ष्मण सिंह 3408/3728 भाग भूमिस्वामी, अनिल पिता मनबोध प्रसाद शर्मा 40/3728 भाग भूमिस्वामी, प्रतिमा सिंह पत्नी नरसिंह देव सिंह 200/3728 भाग भूमिस्वामी, पुष्पाल द्विवेदी पिता बी.पी. द्विवेदी 80/3728 भाग भूमिस्वामी
7	85/1/1/2	0.0040	पंकज कुमार सिंह पिता अप्पराज सिंह
8	85/1/2	0.0040	राजकुमारी सिंह पति कल्याण सिंह 0.0080/0.0081 भाग भूमिस्वामी, अजय कुमार सिंह पिता जीरतन सिंह 0.0001/0.0081 भाग भूमिस्वामी
9	206/1	0.0040	गजाधर सिंह पिता तेजशान सिंह
10	206/2	0.0100	सुधा देवा अवधाराज सिंह जाति सोनवंशी 1/6 भाग भूमिस्वामी, रामाधोविन्द सिंह पिता अवधाराज सिंह 1/6 भाग भूमिस्वामी, महिपत सिंह पिता अवधाराज सिंह 1/6 भाग भूमिस्वामी, राघवेन्द्र सिंह पिता अवधाराज सिंह 1/6 भाग भूमिस्वामी, नारायण सिंह पिता अवधाराज सिंह 1/6 भाग भूमिस्वामी, वनमाली सिंह पिता अवधाराज सिंह सोनवंशी 1/6 भाग भूमिस्वामी
11	206/3	0.0020	अभिमान सिंह पिता उदयभान सिंह
12	206/4	0.0020	सजत कुमार सिंह पिता उदयभान सिंह
13	206/5	0.0020	राजेश्वर सिंह पिता उदयभान सिंह सोनवंशी
14	282	0.0320	सुरेन्द्र, देवेन्द्र पिता जगदीश सिंह 1/3 भाग भूमिस्वामी, रामकली देवा कौशल सिंह 1/9 भाग भूमिस्वामी, रामशेर सिंह पिता कौशल सिंह 1/9 भाग भूमिस्वामी, चन्द्रवली सिंह पिता चन्द्रवली सिंह 1/9 भाग भूमिस्वामी, महेन्द्र सिंह पिता चन्द्रभान सिंह 1/3 भाग भूमिस्वामी
15	285/1	0.0320	शकुन पत्नी प्रदीप कुमार तिवारी
	285/2	0.0000	
16	286/1	0.0120	भैयालाल पिता विशेषर काछी
17	292/1/1	0.0910	भारतलाल, प्रहलाद, ध्रुव कुमार पिता रामावतार गुप्ता, मिथिलेश देवा लवकुमार, वैभव पिता लवकुमार गुप्ता 522/3920 भाग भूमिस्वामी, रामलखन पिता विश्वनाथ गुप्ता 174/3920 भाग भूमिस्वामी, सत्यभान पिता विश्वनाथ गुप्ता 174/3920 भाग भूमिस्वामी, श्रीराम पिता विश्वनाथ गुप्ता 174/3920 भाग भूमिस्वामी, अनुप कुमार पिता लक्ष्मीकान्त गुप्ता 104/3920 भाग भूमिस्वामी, दिलीप कुमार पिता लक्ष्मीकान्त गुप्ता 104/3920 भाग भूमिस्वामी, राजकुमारी पुत्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता 104/3920 भाग भूमिस्वामी, उर्मिला पुत्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता 104/3920 भाग भूमिस्वामी, शकुन्तला पुत्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता 104/3920 भाग भूमिस्वामी, छोटकी देवा कन्हैयालाल बानी 78/3920 भाग भूमिस्वामी, प्रेमवती देवा मुकुन्दलाल बानी 65/3920 भाग भूमिस्वामी, जयश्री पुत्री मुकुन्दलाल बानी 65/3920 भाग भूमिस्वामी, रामजी पिता मुकुन्दलाल बानी 65/3920 भाग भूमिस्वामी, दीपक पिता कन्हैयालाल बानी 78/3920 भाग भूमिस्वामी, पवन कुमार पिता मुकुन्दलाल बानी 65/3920 भाग भूमिस्वामी, निर्मला पुत्री कन्हैयालाल बानी 78/3920 भाग भूमिस्वामी, रामलक्ष्मी पुत्री मुकुन्दलाल बानी 65/3920 भाग भूमिस्वामी, राधा पुत्री मुकुन्दलाल बानी 65/3920 भाग भूमिस्वामी, पार्वती पुत्री कन्हैयालाल बानी 78/3920 भाग भूमिस्वामी, ललिता पुत्री कन्हैयालाल बानी 78/3920 भाग भूमिस्वामी, श्यामलाल पिता अवधलाल बानी 398/3920 भाग भूमिस्वामी, शिवलाल पिता अवधलाल बानी 398/3920 भाग भूमिस्वामी, ललिता देवी देवा अयोध्या प्रसाद बानी 130/3920 भाग

			भूमिस्वामी, अशोक कुमार पिता अयोध्या प्रसाद बानी 130/3920 भाग भूमिस्वामी, रामबाई पुत्री अयोध्या प्रसाद बानी 130/3920 भाग भूमिस्वामी, गिरजा पुत्री अयोध्या प्रसाद बानी 130/3920 भाग भूमिस्वामी, रामवती पुत्री अयोध्या प्रसाद बानी 130/3920 भाग भूमिस्वामी, सुनीता पुत्री अयोध्या प्रसाद बानी 130/3920 भाग भूमिस्वामी.
18	292/1/2	0.0310	सुभाषचन्द्र पिता श्यामलाल बानी 1/2 भाग भूमिस्वामी, शैलेन्द्र पिता शिवलाल बानी 1/2 भाग भूमिस्वामी
19	280/1/1/1/1/1	0.0455	उदयभान पिता रामसुन्दर अहिर
20	280/1/1/1/2	0.0030	लालजी गुप्ता पिता जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता 1/2 भाग भूमिस्वामी, गोपाल जी गुप्ता पिता जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता 1/2 भाग भूमिस्वामी
21	280/1/1/2/1	0.0013	रिचा यादव पत्नी अमित यादव
	280/1/1/2/2	0.0013	
22	280/1/2/1	0.0329	सु. फूलमती देवा लालमन यादव बैजनाथ, जगन्नाथ पिता लालमन यादव सु. लीलावती देवा जगदीश यादव
23	280/3	0.0024	आकाश गुप्ता पिता प्रेमचन्द्र गुप्ता
24	280/4/1	0.0048	पुश्पर्य सिंह पिता महेन्द्र सिंह गौतम
25	280/4/2	0.0013	पुश्पर्य सिंह पिता महेन्द्र सिंह गौतम
26	280/5/1	0.0050	सन्तोष कुमार पिता लालमणि कचेर
	280/5/2	0.0000	
27	280/6	0.0034	सेमवती सिंह पत्नी रामलाल सिंह लोड
28	280/7	0.0042	सुधीर सिंह पिता संसार सिंह
29	280/8/1	0.0020	प्रफुल्ल कुमार पिता अभिमान सिंह 1/2 भाग भूमिस्वामी, पंकज सिंह सिंह अभिमान सिंह 1/2 भाग भूमिस्वामी
	280/8/2	0.0069	
30	276/1	0.0240	रामकली देवा कौशल सिंह 1/9 भाग भूमिस्वामी, रामशेर सिंह पिता कौशल सिंह 1/9 भाग भूमिस्वामी, चन्द्रवती सिंह पिता कौशल सिंह 1/9 भाग भूमिस्वामी, महेन्द्र सिंह पिता चन्द्रभान सिंह 1/3 भाग भूमिस्वामी, सुरेन्द्र सिंह पिता जगदीश सिंह 1/6 भाग भूमिस्वामी, देवन्द्र सिंह पिता जगदीश सिंह जाति धवाई 1/6 भाग भूमिस्वामी
31	277/1	0.0360	कलावती सिंह पति त्रिवेणी सिंह 1/3 भाग भूमिस्वामी, सुनील कुमार सिंह पिता त्रिवेणी सिंह 1/3 भाग भूमिस्वामी, सुशाल कुमार पिता त्रिवेणी सिंह 1/3 भाग भूमिस्वामी
	278/1	0.0080	
32	362	0.0600	महरजिया देवा जगदीश यादव 1/4 भाग भूमिस्वामी, गोपीचन्द्र पिता जगदीश यादव 1/4 भाग भूमिस्वामी, सत्यभान पिता जगदीश यादव 1/4 भाग भूमिस्वामी, बृजवर्मा पिता जगदीश यादव 1/4 भाग भूमिस्वामी
33	277/2	0.0680	राजकुमारी पति इन्द्रपति सिंह 1/6 भाग भूमिस्वामी, नीलिमा सिंह पिता इन्द्रपति सिंह 1/6 भाग भूमिस्वामी, अंशिका सिंह पिता इन्द्रपति सिंह 1/6 भाग भूमिस्वामी, नन्दनी सिंह पिता इन्द्रपति सिंह 1/6 भाग भूमिस्वामी, अंजली सिंह पिता इन्द्रपति सिंह 1/6 भाग भूमिस्वामी, मौरज सिंह पिता इन्द्रपति सिंह 1/6 भाग भूमिस्वामी
	278/2	0.0140	
34	279/2/1/2	0.0040	विनोद कुमार सिंह पिता हनुमान सिंह चन्देल
35	279/2/2	0.0040	सन्तोष कुमार पिता लालमणि कचेर
36	387	0.0400	रमाकान्त पिता लक्ष्मीकान्त, विजयकान्त पिता लक्ष्मीकान्त चतुर्वेदी
	388	0.0860	
37	391	0.0140	योगेश कुमार पिता दमडीलाल गुप्ता 284/308 भाग भूमिस्वामी, ललिता गुप्ता पति सुभाष कुमार गुप्ता 24/308 भाग भूमिस्वामी,
38	390/1	0.0113	ललिता गुप्ता पति सुभाष कुमार गुप्ता 2570/7684 भाग भूमिस्वामी, नेमिस कुमार पिता रामनिवास गुप्ता 1120/7684 भाग भूमिस्वामी, अन्नपूर्णा पति रैजिस कुमार 634/7684 भाग भूमिस्वामी, अनीश पिता रामनिवास 1120/7684 भाग भूमिस्वामी, आकाशदीप पिता रामनिवास गुप्ता 1120/7684 भाग भूमिस्वामी,

39	390/2	0.0007	अमीता पति प्रकाशचन्द्र गुप्ता 1120/7684 भाग भूमिस्वामी
40	386	0.0400	अन्नपूर्णा पति रैजिस कुमार
41	363/3/1/1/1/1 363/3/1/1/2/1	0.0075 0.0025	रामगोपाल कोल पिता ललवा कोल 1/2 भाग भूमिस्वामी, शम्भूरे कोल पिता ललवा कोल 1/2 भाग भूमिस्वामी,
42	363/3/1/1/1/2 363/3/1/1/2/2	0.0075 0.0025	सम्पत यादव पिता सुन्दर यादव
43	363/3/1/2	0.0300	बाबूलाल यादव पिता सुन्दर यादव
44	363/3/2	0.0100	उदयभानु पिता सुन्दर यादव
45	363/3/3/2	0.0160	सु. फूलमती देवा लालमन यादव बैजनाथ, जलन्नाथ पिता लालमन यादव सु. लीलावती देवा जलदीश यादव
46	404/1/1/1	0.1300	अजय कुमार पिता सुखनिधान वर्मा
47	404/1/1/2	0.0080	कौशल्या पत्नी रामसुख 1/17 भाग भूमिस्वामी, हरछटिया देवा रामसुख 1/17 भाग भूमिस्वामी, दरमलिया पिता रामप्रसाद दाजी 1/17 भाग भूमिस्वामी, रामसियादर पिता सखेदीन 1/17 भाग भूमिस्वामी, रंगी पत्नी रामसुख 1/17 भाग भूमिस्वामी, सुमित्री पत्नी रामसुख 1/17 भाग भूमिस्वामी, शान्ती पत्नी रामसुख 1/17 भाग भूमिस्वामी, बसन्ती पत्नी रामसुख 1/17 भाग भूमिस्वामी, सोनिया पत्नी रामसुख 1/17 भाग भूमिस्वामी, सुभादी पत्नी रामसुख 1/17 भाग भूमिस्वामी, श्रीमन् पुत्र रामचन्द्र गुप्ता 1/17 भाग भूमिस्वामी, पन्नालाल पुत्र रामचन्द्र 1/17 भाग भूमिस्वामी, रोशनलाल पुत्र रामचन्द्र गुप्ता 1/17 भाग भूमिस्वामी, दुआसिया देवा रामसुख 1/17 भाग भूमिस्वामी, रामखैलावन पुत्र सूर्यदीन 1/17 भाग भूमिस्वामी, लक्ष्मीबाई पति रामपाल गुप्ता 1/34 भाग भूमिस्वामी, विकास पिता रामपाल गुप्ता 1/34 भाग भूमिस्वामी, रामयस पिता रामसुख गुप्ता 1/17 भाग भूमिस्वामी
48	404/1/1/3	0.0250	शिवनाथ, भरतलाल, विश्वनाथ पुत्र रामपाल गुप्ता
49	404/1/2/1	0.0110	रामकुमार पुत्र रामरतन 1/3 भाग भूमिस्वामी, छोटे पुत्र रामरतन 1/3 भाग भूमिस्वामी, चमेलिया पत्नी राम रतन 1/3 भाग भूमिस्वामी
50	404/1/2/2	0.0110	दशरथ पुत्र रामावतार गुप्ता
51	404/1/2/3	0.0110	समयलाल पुत्र रामावतार
52	404/1/3/1	0.0110	राजकुमार पुत्र रामावतार
53	404/1/3/2	0.0110	रामअरोधा गुप्ता पिता रामलखन गुप्ता 1/3 भाग भूमिस्वामी, राममणि पिता रामलखन गुप्ता 1/3 भाग भूमिस्वामी, शोभनाथ पिता रामलखन गुप्ता 1/3 भाग भूमिस्वामी,
54	404/1/3/3	0.0110	मकसुदन पुत्र अरोधीन गुप्ता
55	348/1/1/1	0.0022	पंकज पुत्र लालमणि 1/2 भाग भूमिस्वामी, हरिदर्शन पुत्र लालमणि 1/2 भाग भूमिस्वामी,
56	348/1/1/2	0.0323	जालिम सिंह पिता निचू सिंह बाघेल
57	348/1/2	0.0035	दिलीप सिंह पिता जालिम सिंह
58	348/2	0.0880	धर्मराज सिंह सोनवंसी पिता गुलाब सिंह सोनवंशी
59	348/3	0.0080	सत्यकली पत्नी रामभूषण जाति ब्रा.
60	350/1	0.0080	रनिया पत्नी श्यामलाल कोल
61	350/2/1	0.0220	रीता सिंह पति अजय सिंह
62	350/2/2	0.0220	आशीष पिता रोहणी प्रसाद द्विवेदी
63	350/3/1 350/3/2	0.0100 0.0203	विकास पिता रोहणी प्रसाद द्विवेदी
64	349	0.0300	अजय सिंह पिता इन्द्रबहादुर सिंह
कुल योग		1.5373	गरीबा पिता तिरथिया कोल

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- मझौली बाईपास मार्ग निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण उपखण्ड अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 765385-भू-अर्जन-2026

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 जनवरी 2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग वल्लभ भवन-III डी विंग प्रथम तल भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ-31-06/2020/सत्ताईस-एक भोपाल, दिनांक 06/08/2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत 'सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अत अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	तामिया	ग्राम-खापासानी पोह0न0-09, ब.न. -30, रा.नि.मं.-देलाखारी	रकबा-36.562 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर पाने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला-छिन्दवाड़ा	दुधी परियोजना के अंतर्गत दुधी बांध से डूब प्रभावित क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग कं0 2 गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रानी अवंती बाई लोधी सागर बॉयी तट नहर अनुभाग बगासपुर जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरेंद्र नारायण, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 3135-भू-अर्जन-2025-रा.मा.क्र.002-अ-82-2025-26

नरसिंहपुर, दिनांक 29 जनवरी 2026

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.-EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु । |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : गोटेगांव |
| 3. ग्राम | : बेलखेड़ीकलां |
| 4. प.ह.न. | : 29 |
| 5. नं.ब. | : 426 |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 4.050 हेक्टेयर |

अनूसूची 2

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हे.में
1	2	3	4	5
1	टावल आ. परमलाल ढीमर	भूमिस्वामी	35/1/1	0.035
2	छक्केलाल आ. परमलाल ढीमर	भूमिस्वामी	35/1/2	0.020
3	छबल आ. परमलाल ढीमर	भूमिस्वामी	35/1/3	0.035
4	शिवकुमार आ. परमलाल ढीमर	भूमिस्वामी	34/1/4	0.035
5	घूरनसिंह वल्द प्रीतम ढीमर	भूमिस्वामी	35/3/1 35/3/2 35/9	0.040
6	जगदीश प्रसाद वल्द ददू ढीमर	भूमिस्वामी	35/6	0.035
7	भगवानदास वल्द ददू ढीमर	भूमिस्वामी	35/7	0.035
8	तुलसाबाई बेवा भोजराज टेकसिंह लक्ष्मणसिंह पिता भोजराज ढीमर	भूमिस्वामी	34/3	0.081
9	मिहीलाल सरोजबाई पिता चेताराम, चेताराम पिता चिंतामन जयन्तीबाई पति पूरन निस्सू हेमलता पिता पूरन भगोबाई पत्नी नन्हेलाल जाति ढीमर सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	34/1	0.025
10	ओंकार आ. परताप ढीमर	भूमिस्वामी	33/1/1 31/2/2	0.114 0.161
11	मायाबाई जोजे शिवदास ढीमर	भूमिस्वामी	33/2	0.078
12	a पिता b सा. बेलखेड़ी	भूमिस्वामी	33/5	0.069
13	बैनीप्रसाद पिता परताप ढीमर	भूमिस्वामी	33/3	0.114
14	राजेश कुमार पिता शिवदास ढीमर	भूमिस्वामी	33/4	0.045
15	चोखेलाल पिता परताप ढीमर	भूमिस्वामी	31/2/1	0.150
16	बैनीप्रसाद चोखेलाल ओमकार पिता परताप ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	30/3 31/1	0.356
17	घूरन वल्द प्रीतम सिंह ढीमर	भूमिस्वामी	30/1	
18	परताप वल्द सुक्कड़ ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	2/2/ख 30/2	
19	टावलसिंह वल्द कीरतसिंह ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	2/2/ग 3	
20	महेन्द्रसिंह तुलसीराम पिता दुल्लीसिंह लोधी सा. नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	2/1/क	
21	देवीसिंह टावलसिंह पिता कीरत ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	2/1/ख 2/1/ग 2/1/घ 2/2/क	

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नान अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा में
1	2	3	4	5
22	परताप आ. सुक्कड़ ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	5 6	0.020
23	राजकुमार बबलू पिता गनेश ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	48/1 49/1 50/1	0.044
24	जालम वल्द छुटई ढीमर	भूमिस्वामी	48/2 49/2 50/2	0.040
25	शिवशंकर वल्द पूरनलाल ढीमर	भूमिस्वामी	48/3 49/3 50/3	0.054
26	पूरन पिता छुटई ढीमर	भूमिस्वामी	48/4 49/4 50/4	0.016
27	रोशन पिता मूरतसिंह लोधी	भूमिस्वामी	51/2	0.048
28	धनीराम वल्द कोडी ढीमर	भूमिस्वामी	70/1 71/1 72/1 73/1 74/1	0.460
29	थम्मन वल्द सोवरन सिंह लोधी	भूमिस्वामी	95 96/1	0.380
30	धनसिंह वल्द रामसिंह लोधी	भूमिस्वामी	96/2	0.190
31	महेन्द्रसिंह वल्द बापूलाल लोधी	भूमिस्वामी	101/1	0.076
32	पूरनसिंह वल्द रामसिंह लोधी	भूमिस्वामी	101/2	0.084
33	मुन्ना वल्द सोवरन गोंड	भूमिस्वामी	102/2	0.280
34	मंगलसिंह आ. अन्नीलाल ग्राम नौकर	भूमिस्वामी	103	0.182
35	अमरनाथ आ. मंगलसिंह मेहरा	भूमिस्वामी	105 106	0.390
36	पम्मा वल्द बाबूलाल मलाह	भूमिस्वामी	108/19 108/20 108/21	0.024

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हे.में
1	2	3	4	5
37	नेतराम पिता राजाराम ढीमर	भूमिस्वामी	12/1 19/1	0.020
38	दलू वल्द गुलाब ढीमर	भूमिस्वामी	12/2	
39	परमलाल वल्द नन्हे ढीमर	भूमिस्वामी	12/3 19/4	
40	कैलाश आ. जालमसिंह ढीमर	भूमिस्वामी	12/4 19/5	
41	शंकर वल्द नन्हेलाल ढीमर	भूमिस्वामी	12/5 19/6	
42	भगताराम वल्द नन्हेलाल ढीमर	भूमिस्वामी	12/6 19/7	
43	नेतराम पिता राजाराम ढीमर	भूमिस्वामी	12/7 19/9	
44	तुलसाबाई बेवा भोजराज टेकसिंह लक्ष्मणसिंह पिता भोजराज ढीमर	भूमिस्वामी	13/1	0.250
45	मुन्नीलाल पिता नूरे ढीमर	भूमिस्वामी	13/2 14 15 16/1	
46	नेतराम पिता राजाराम ढीमर	भूमिस्वामी	13/3 19/2	
47	दुर्गाप्रसाद पिता राजाराम ढीमर	भूमिस्वामी	13/4 19/8	
48	फुल्ली बेवा श्यामलाल ढीमर	भूमिस्वामी	16/2 17	
49	केदार वल्द टेकसिंह लोधी	भूमिस्वामी	97/1	0.064
50	खसरे में नाम दर्ज नहीं	भूमिस्वामी	97/2	
51	पार्वती बाई पति हरप्रसाद लोधी	भूमिस्वामी	97/3	
कुल योग				4.050

अधिकारी
सरल नरसिंहपुर

सरल क्रमांक—12 के खसरा नंबर 33/5 रकबा 0.069 हेक्टेयर अनुविभागीय अधिकारी गोटेगांव के प्रकरण क्रमांक/अ-6-अ/2026 के अन्तर्गत खसरा सुधार का प्रकरण लंबित है।

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र. 3137-भू-अर्जन-2025-रा.मा.क्र.003-अ-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.-EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची 1

1. परियोजना का नाम

चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।

2. भूमि का विवरण

1. जिला	: नरसिंहपुर
2. तहसील	: गोटेगांव
3. ग्राम	: रायखेड़ा
4. प.ह.न.	: 19
5. नं.ब.	: 510
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	: 2.369 हेक्टेयर

अनूसूची

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
1	2	3	4	5
1	जम्मन पिता रतनसिंह लोधी सा. करेलीकलां	भूमिस्वामी	1/1	0.677
2	वीरेन्द्र सिंह पिता जूजू लोधी सा.देह करेलीकलां	भूमिस्वामी	1/2	
3	सुखदेव पिता खुमानसिंह लोधी सा. करेलीकलां	भूमिस्वामी	1/3	
4	बैनीसिंह पिता जूजू लोधी सा. करेलीकलां	भूमिस्वामी	1/4	
5	हाकमसिंह पिता जूजू लोधी लोधी सा. देह करेली कलां	भूमिस्वामी	1/5	
6	चुन्नीलाल पिता रतनसिंह लोधी सा. करेलीकलां	भूमिस्वामी	1/6	
7	मुलामसिंह पिता रतनसिंह लोधी सा. देह	भूमिस्वामी	1/7	
8	नीलेश पिता जगतसिंह मुन्नीबाई पति जगतसिंह लोधी सा.करेली कलां	भूमिस्वामी	8/1 9/1	0.993
9	पृथ्वीराज पिता जूजू लोधी सा. करेली कलां	भूमिस्वामी	8/2 9/2	
10	मायाराम पिता बाबूलाल लोधी सा. गोटेगांव नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	8/3 9/3 8/4/2	
11	बाबूलाल पिता कीरतसिंह लोधी सा. गोटेगांव नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	8/4/1 8/5	
12	सोमतीबाई पति लालसिंह लक्ष्मन पिता लालसिंह हेमवती बाई पति अन्नीलाल गुलाबबाई पति द्वारका प्रसाद संदीप पिता दौलतसिंह लोधी सा. करेलीकलां	भूमिस्वामी	8/6 9/5 8/7 8/8 9/6	
13	हाकमसिंह पिता जूजू लोधी सा.देह करेलीकलां	भूमिस्वामी	8/9 9/7	
14	संतोष पिता जूजू लोधी सा. करेलीकलां	भूमिस्वामी	8/10 9/8	

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
1	2	3	4	5
15	जागेश्वर पिता सोवरनसिंह लोधी सा. देह	भूमिस्वामी	10/1 11/1 12/1 13/1 14/1	0.304
16	दौलत पिता सोवरन सिंह सा.देह	भूमिस्वामी	10/2 11/2 12/2 13/2 14/2	
17	रामसिंह पिता सोवरन सिंह लोधी सा. देह	भूमिस्वामी	10/3 11/3 12/3 13/3 14/3	
18	लाखनसिंह ना.वा. पिता व बली मेहरवानसिंह लोधी सा.देह देगुवा	भूमिस्वामी	35/1	0.242
19	जानकीबाई पति मेहरवान सिंह लोधी सा.देह देगुवा	भूमिस्वामी	35/2	
20	मदनसिंह पिता जूठू पता सा.देह	भूमिस्वामी	36	0.083
21	देवीसिंह पिता ओंकार उत्तमसिंह पिता ओंकार मेहरा सा.देह	भूमिस्वामी	37/1	0.070
22	विश्वनाथ पिता गोधन मेहरा सा.देह	भूमिस्वामी	37/2	
23	भगवानदास पिता गोधन मेहरा सा.देह	भूमिस्वामी	37/3	
24	जगदीश प्रसाद पिता गोधन मेहरा सा. देह	भूमिस्वामी	37/4	
25	वद्रीप्रसाद पिता गोधन मेहरा सा.देह	भूमिस्वामी	37/5	
कुल योग				2.369

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों) के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र. 3139-भू-अर्जन-2025-रा.मा.क्र.0003-अ-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.-EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची-1

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु । |
| 2. भूमि का विवरण | |
| जिला | : नरसिंहपुर |
| तहसील | : गोटेगांव |
| ग्राम | : भैंसा |
| प.ह.न. | : 25 |
| सं.ब. | : 443 |
| अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 1.299 हेक्टेयर |

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
1	2	3	4	5
1	श्री देवरामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता जी सर महेन्द्र प्रसाद पुत्र तुलसीराम जाति ब्रा. पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी प्रबंधक कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	3 (s)	0.020
2	सुखदेव पुत्र हक्कू सिंह जाति ढीमर पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	6/1/1 (s)	0.024
3	सियाबाई उर्फ सोमवती बाई पुत्री हक्कू जाति ढीमर पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	6/7 (s)	0.140
4	दीनदयाल पुत्र नारायण प्रसाद जाति ब्रा. पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	6/2 (s)	0.020
5	रविप्रसाद पुत्र रामदयाल जाति ब्रा. पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	6/3 (s)	0.008
6	शंकरलाल पुत्र छोटेलाल जाति ब्रा. पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	6/4 (s)	0.016
7	विनोद कुमार पुत्र शंकरलाल दुबे जाति ब्रा. पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	6/5 (s)	0.036
8	विजय कुमार पुत्र छिदामीलाल जाति ब्रा. पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	6/6 (s)	0.050
9	डब्ल पुत्र गयाप्रसाद जाति ढीमर पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	7/1 (s)	0.116
	पंचमलाल पुत्र डब्ल जाति ढीमर पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	7/2 (s)	0.105

प्रकारी
नरसिंहपुर

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
1	2	3	4	5
11	प्रेमसिंह पुत्र डब्ल जाति ढीमर पता सा.देह गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	7/3 (s)	0.139
12	देवेन्द्र विजयकुमार अरविन्द सतेन्द्र शशिबाई पुष्पाबाई सुनीताबाई अनीताबाई पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति कायस्थ पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	11/1 (s) 11/2 (s) 11/3 (s)	0.067
13	सतेन्द्र पुत्र द्वारका प्रसाद जाति कायस्थ पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	10 (s)	0.398
14	लक्ष्मी गुरु कृपा समिति श्री शंकराचार्य आश्रम झोतेश्वर कोषाध्यक्ष श्रीमति मंजूला राव पत्नि सुधीन्द्र श्यामा राव जाति ब्रा. पता झोतेश्वर गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	4/1/32 (s)	0.160
कुल योग				1.299

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक-एफ 16-15(7)-2014-सात -शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है। अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रजनी सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.